बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 132

आधी सदी के बाद क्या ?

देश के 14 बैंकों (सन 1969 में 50 करोड़ रुपये से अधिक वाले) के राष्ट्रीयकरण के 50 साल हो जाने के बाद कई टीकाकार इस बात पर बहस कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने जो किया वह अच्छा था या बुरा। यह सवाल गलत है लेकिन इसका संक्षिप्त जवाब है : यह अच्छा और बुरा दोनों था। इसने बैंकों का दायरा बढ़ाने में मदद की और इससे राष्ट्रीय बचत दर में इजाफा हुआ। परंतु इसकी कीमत करदाताओं को चुकानी पड़ी क्योंकि इन बैंकों को लगातार नई पूंजी की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीयकरण के पीछे इंदिरा गांधी का इरादा क्या था, यह भी अब कोई प्रासंगिक सवाल नहीं है। हर कोई जानता है कि इसके पीछे राजनीतिक वजह थीं लेकिन स्पष्ट लोकप्रियता के भी अपने लाभ हैं। आज सही सवाल यह है कि अब क्या? मुद्दा यह होना चाहिए कि सरकारी बैंकों में दिक्कत है। उनका कर्ज संबंधी रिकॉर्ड सारे बैंकिंग तंत्र में सबसे खराब है, तकनीक बदलाव के मामले में वे काफी पीछे छूट गए हैं और निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में उपभोक्ताओं के भी कम अनुकूल हैं। यहां तक कि खुदरा जमा करने वाले भी अब निजी बैंकों का रुख करने लगे हैं। यह सरकारी बैंकों के लिए बहुत घातक हो सकता है। परंतु राजनीतिक वजहों से इन बैंकों का निजीकरण अभी भी दूर है। किसी भी हालत में यह संपूर्ण हल भी नहीं है। निजी क्षेत्र में एचडीएफसी बैंक जैसे निजी ऋणदाताओं ने जहां शानदार प्रदर्शन किया है, वहीं विफलताओं के उदाहरण भी हैं। येस बैंक के शेयरों की कीमत में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल चुकी है और उसे तत्काल नई पूंजी की आवश्यकता है।

यह बात हमें बताती है राष्ट्रीयकरण के पहले निजी बैंकों में क्या होता था। इसी प्रकार आईएलऐंडएफएस तथा डीएचएफएल जैसे बड़े शैडो बैंक द्वारा किए गए डिफॉल्ट तथा अन्य डिफॉल्ट की आशंका बताती है कि वित्तीय क्षेत्र में निजी स्वामित्व सफलता की गारंटी नहीं है। उस लिहाज से देखा जाए तो सरकार के हल अब तक आकलन से बाहर हैं। बिना प्रदर्शन में सुधार के बार-बार नई पूंजी डालना वैसा ही है जैसे अंधे कुएं में पैसा डुबाना। यह भी स्पष्ट नहीं है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी निगरानी प्रक्रिया पर कड़ी दृष्टि डाली है या नहीं क्योंकि गड़बड़ी के इस स्तर तक पहुंचने में इस बात की भी भूमिका है। इस समस्या का हल कहीं और से ही आना होगा। हमें देखना होगा कि दूरसंचार और नागरिक उड्डयन क्षेत्र में क्या हुआ। इन क्षेत्रों के पुराने कारोबारी अपने हालात से जूझते रहे जबकि नए निजी कारोबारियों ने बाजार पर कब्जा कर लिया। किसी कंपनी का निजीकरण नहीं किया गया। कई नए निजी कारोबारी भी प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर सके। जबकि सरकार पुरानी सरकारी कंपनियों का मालिकाना भी रखे हुए है और उन्हें धन भी मुहैया करा रही है। जब तक सरकार अपने हाथ खींचेगी और अंतिम तौर पर बिक्री का निर्णय करेगी तब तक संभावित खरीदारों के लिए इनमें कुछ बचेगा नहीं। बैंकिंग क्षेत्र का निजीकरण किया जा रहा है। महज पांच वर्ष पहले सरकारी बैंकों का जमा और अग्रिम देश के निजी बैंकों के जमा और अग्रिम के चार गुना हुआ करता था। अब इनका जमा निजी बैंकों से केवल 2.2 गुना और अग्रिम या ऋण केवल 1.8 गुना ज्यादा है। वृद्धि संबंधी जमा और बकाये के मामले में हालात नाटकीय ढंग से बदल चुके हैं। गत वर्ष निजी बैंकों ने सरकारी बैंकों की तुलना में दो से तीन गुना ज्यादा ऋण वितरित किया। अगर निजी बैंक वृद्धि के वाहक की भूमिका में आ जाएं तो उन्हें सरकारी बैंकों जितना बड़ा और महत्त्वपूर्ण होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वे इस क्षेत्र के अगुआ बन जाएंगे। इस बीच कुछ समय से यह भी सच है कि सर्वाधिक मूल्यवान निजी बैंक की कुल परिसंपत्ति सबसे बड़े सरकारी बैंक यानी भारतीय स्टेट बैंक से अधिक है। शेष सरकारी बैंकों का कुल आकार मिला दिया जाए तो भी वे उस निजी बैंक के आसपास ही पहुंच पाते हैं जो सन 1991 में पैदा भी नहीं हुआ था। ऐसा इसलिए क्योंकि निवेशकों ने अपनी प्राथमिकता स्पष्ट कर दी है: अच्छे निजी बैंकों की वित्तीय स्थिति लगातार सुदृढ़ हो रही है जबकि सरकारी बैंकों की स्थिति निरंतर शर्मनाक होती जा रही है। सरकार के लिए भी केवल इस प्रक्रिया को तार्किक परिणति तक पहुंचाना ही पर्याप्त नहीं है क्योंकि बैंक विमानन और दूरसंचार कंपनियों की तुलना में अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। विलय, चयनित बिक्री या कमजोर बैंकों पर संकीर्ण बैंकिंग प्रतिबंधों के माध्यम से ही सही उसे एक ऐसा वित्तीय क्षेत्र सुनिश्चित करना चाहिए जिसकी सेहत स्वामित्व से तय नहीं हो। *(स्पष्टीकरण: कोटक परिवार द्वारा नियंत्रित कंपनियों की बिज़नेस स्टैंडर्ड में बड़ी शेयरधारिता है।)*

साप्ताहिक मंथन

टी. एन. नाइनन

अजय मोहंती

सरकार का विदेशी ऋण: क्यों व कैसे ?

विदेशी निवेशकों के साथ बेहतर रिश्ते इसलिए भी मायने रखते हैं क्योंकि जब बात लंबी अवधि के ऋण संबंधी लक्ष्यों की आती है तो वे मददगार साबित हो सकते हैं। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं अजय शाह

सरकार की विदेशी ऋण लेने की मंशा के पक्ष में तीन कारण हैं। कई बार यह सरकार को सस्ता ऋण सुनिश्चित करेगा। इसकी वजह से ऐसी संदर्भ दर तैयार होगी जो देश के कारोबारी घरानों की विदेशी ऋण मिलने की क्षमता को बेहतर बनाएगा। सबसे महत्त्वपूर्ण बात, जब भारत संकट में है, तो उस स्थिति में यह सस्ती दर पर भारी कर्ज सुनिश्चित करने का माध्यम है। यहां दो बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, ऋण प्रबंधन के लिए बेहतर संस्थागत प्रावधानों की जरूरत है। दूसरा, हमें विदेशी निवेशकों को बनाए रखकर और उनका भरोसा जीतकर लंबी पारी खेलनी है।

मान लेते हैं भारत सरकार के पास ऋण के दो माध्यम हैं जो पूरी तरह सक्रिय और हर वक्त व्यवहार्य हैं: मुंबई में रुपये में उधारी लेने की और लंदन में डॉलर में उधारी लेने की। दोनों जगह कीमतों में उतार-चढ़ाव आता है। लंदन का मूल्य अधिक आकर्षक होगा और ऐसी उधारी को प्राथमिकता दी जाएगी। विदेशी ऋण कार्यक्रम की शुरुआत के साथ हम इसे वैकल्पिक बनाकर इसका लाभ ले सकते हैं।

दूसरा लाभ विदेशों से ऋण लेने वाली तमाम कंपनियों की बाह्य सकारात्मकता से जुड़ा है। लंदन में सरकार द्वारा जारी डॉलर बॉन्ड में कारोबार से नकदी का प्रतिफल तैयार हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह एक ऐसी संदर्भ दर तैयार कर सकता है जिसके समक्ष सभी भारतीय कारोबारी कर्जदारों का मूल्यांकन होगा। विदेशी ऋण लेने की इच्छुक तमाम भारतीय कंपनियों को बेहतर दर मिलेगी।

तीसरी और सबसे अहम बात कठिन समय के लिए है। स्वस्थ सार्वजनिक वित्त में अधिकांश वर्ष मामूली ही सही लेकिन प्राथमिक अधिशेष रहता है। परंतु यदाकदा हर देश को दिक्कत का सामना करना ही पड़ता है। ऐसे दिनों में प्राथमिक घाटे में इजाफा होता है और उधारी बढ़ती है। बहरहाल, जब भारत ऐसी किसी आपदा का सामना करता है तो उसे घरेलू स्तर पर नकदी जुटा पाना मुश्किल होगा। ऐसे वक्त विदेशी ऋण का इस्तेमाल करना एकदम उपयुक्त कदम है। आमतौर पर विदेशों में रहने वाले कर्जदाता भारत में आई किसी भी विपत्ति से महफूज रहेंगे और इसलिए ऋण देने का बेहतर जरिया भी। घरेलू कर्जदाता तो उस हालत में खुद दिक्कत से जूझ रहे होंगे।

इन लाभ को हासिल करने के क्रम में भी दो सावधानियां बरतनी होंगी। पहली समस्या सार्वजनिक ऋण प्रबंधन की संस्थागत व्यवस्था में आती है। फिलहाल, ऋण को लेकर सरकारी नीति के बारे में कोई एक राय नहीं है। ऐसे में पूरी तस्वीर सामने नहीं आती और ऋण के मौद्रिक घटक के बारे में निर्णय लेना आसान नहीं रहता। सरकार में ऐसी कोई जगह नहीं है जो यह समझने में सक्षम हो कि लंदन में भारत सरकार के डॉलर संदर्भित बॉन्ड को लेकर नकदी प्रतिफल कर्व कैसे बनता है।

जरूरत इस बात की है कि सरकारी ऋण प्रबंधन एजेंसी गठित की जाए जो वित्त मंत्रालय के अधीन निवेश बैंकर की भूमिका में रहे। इससे सरकार की तमाम उधारी को लेकर एकीकृत नजरिया रहेगा और तमाम रास्ते नजर आएंगे।

कई पर्यवेक्षक इस बात को लेकर चिंतित रहे हैं कि विदेशी ऋण खतरनाक है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना ऋण लेते हैं। देश के मौजूदा हालात को देखते हुए अगर 25 अरब डॉलर का विदेशी ऋण लिया जाता है तो वह जीडीपी के एक फीसदी के बराबर होगा। इतनी रकम कोई जोखिम नहीं होगी बल्कि यह सीखने का मौका होगा। इसके साथ ही इस ऋण के जोखिम और इसके प्रबंधन के लिए ऋण प्रबंधन एजेंसी की भी आवश्यकता होगी। खासतौर पर तब जबकि उधारी की राशि बहुत अधिक हो।

ऋण प्रबंधन एजेंसी की बात करें तो उसका लक्ष्य शंकालु निवेशकों के साथ दीर्घकालिक रिश्ते कायम करना है। हमें किसी बात को लेकर कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। फिलहाल सरकारी बॉन्डों में से अधिकांश जबरन बेचे जा रहे हैं। बैंक, बीमा कंपनियां, ईपीएफओ, एनपीएस और अब म्युचुअल फंड तक को सरकारी बॉन्ड खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर भारत सरकार मनमाने बदलाव कर सकती है लेकिन विदेशी निवेशक इससे परे हैं और उन्हें लुभाना होगा। इसके लिए सरकार को एकदम अलग व्यवहार करना होगा।

इसके लिए चार काम करने होंगे: निवेशकों के साथ रिश्ते कायम करना, कठिन प्रश्नों के जवाब देना, राजकोषीय स्थिति दुरुस्त करना और डेटा की गुणवत्ता में सुधार करना। जब हम इन चार समस्याओं में से एक या अधिक में गलती करते हैं तो विदेशी ऋण की लागत बढ़ेगी। एक बार स्वैच्छिक कर्जदाताओं के आगमन के बाद हमारा अपना हित इन समस्याओं के हल से जुड़ जाएगा।

विदेशी निवेशकों के साथ रिश्ता मजबूत बनाना विदेशी ऋण के दीर्घकालिक लक्ष्य की दृष्टि से अहम है। इसके लिए पहले नियमित ऋण लेने का भरोसा तैयार करना होगा और कर्ज समय पर चुकाना होगा। जब ऐसा कई बार हो जाए तो हमें विदेशी निवेशकों का भरोसा और सम्मान दोनों हासिल हो जाएगा। विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश आसानी से बड़ी राशि का ऋण ले लेते हैं वह भी कम ब्याज दर पर क्योंकि वे लंबे समय से ऋण ले रहे हैं और उसे सफलतापूर्वक चुका भी रहे हैं। ब्रिटेन ने पिछली बार 1688 में कर्ज पर डिफॉल्ट किया था।

समय से पहले ऐसा रिकॉर्ड तैयार करना बेहतर होगा तभी हम संकट के समय निवेशकों का भरोसा जीत पाएंगे। अगर ऋण प्रबंधन एजेंसी विदेशी निवेशकों के साथ सतही संपर्क में रहेगी तो वे संकट के समय भारत सरकार को ऋण देने से हिचकिचाएंगी। जबकि उनके साथ गहन संपर्क, संकट के समय विदेशी कर्जदाताओं से बेहतर संसाधन मिलना सुनिश्चित करेगा भले ही ब्याज दर थोड़ा ज्यादा चुकानी पड़े।

भारत सरकार स्वैच्छिक और विदेशी कर्जदाताओं से जिस हद तक बेहतर संबंध कायम करेगी, उतना ही बेहतर होगा। ऐसा करने से घरेलू ऋण परिदृश्य में भी बदलाव आएगा। एक बार फिर अहम अंतर्दृष्टि यही है कि किसी भी संकट की स्थिति में बढ़ी हुई उधारी का लक्ष्य स्वैच्छिक कर्जदाताओं से ही हासिल हो सकता है।

(लेखक नई दिल्ली स्थित नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनैंस ऐंड पॉलिसी में प्रोफेसर हैं।)

मीडिया के स्वामित्व ढांचे में सुधार से ही आएगी स्वतंत्रता

मीडिया मंत्र

वनिता कोहली-खांडेकर

भय एकदम साफ झलक रहा था। घाना के एक पत्रकार ने अपना चेहरा छिपाते हुए अपनी बात रखी। कई दूसरे पत्रकारों ने भी अपनी चिंता, डर और कुंठा को उजागर किया। लंदन में पिछले हफ्ते आयोजित वैश्विक मीडिया स्वतंत्रता सम्मेलन में कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखी। ब्रिटेन और कनाडा की सरकारों के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस सम्मेलन में पत्रकारों के अलावा वकील, नेता, मंत्री और राजनयिक भी ऐसी बातें कर रहे थे। सबका यही कहना था कि यह दुनिया अब पत्रकारों के लिए अधिक प्रतिकूल हो चुकी है।

पत्रकारों की अंतरराष्ट्रीय संस्था 'रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स' ने वर्ष 2018 को पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक साल करार दिया है। ब्रिटिश सरकार की एक वेबसाइट के मुताबिक यूनेस्को ने भी पिछले साल 99 पत्रकारों की हत्या, 348 को जेल में डालने और 60 अन्य को बंधक बनाए जाने की पुष्टि की है।

इन घटनाओं के पीछे तानाशाही प्रवृत्ति वाली सरकारों से लेकर संस्थागत सहयोग की कमी भी वजह है। अमेरिका जैसे मजबूत संस्थागत आधार वाले लोकतांत्रिक देशों में भी अब पत्रकारों को नियमित रूप से डराया-धमकाया और जलील किया जाता है। महिला पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाओं पर भारत का भी जिक्र किया गया। व्हाट्सऐप के जरिये फैलाई जाने वाली अफवाहों के चलते भीड़ द्वारा पीट-पीटकर मार डाले जाने की घटनाओं और वर्ष 2017 में महिला पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या का भी मुद्दा उठा। समाज में नफरत बढ़ाने, फर्जी खबरें फैलाने और ध्रुवीकरण में सोशल मीडिया की भूमिका भी चर्चा का विषय बनी। मीडिया की आजादी बचाए रखने के तरीके सुझाना भी इस सम्मेलन का एक मकसद था। एक अहम सुझाव वैश्विक कानूनी पैनल बनाने को लेकर आया। ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेरमी हंट ने कहा, 'पत्रकारों के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर काबू करने के लिए राजनीतिक इच्छा, राजनयिक दबाव और हालात सुधारने में देशों की मदद के लिए एक कानूनी ढांचा बनाने की भी जरूरत है। उच्च स्तर के इस स्वतंत्र पैनल में दुनिया के बेहतरीन कानूनी विशेषज्ञों को जगह मिले और वे मीडिया के साथ दुर्व्यवहार रोकने वाला ढांचा तैयार करेंगे।'

ऑक्सफर्ड स्थित रॉयटर्स पत्रकारिता अध्ययन संस्थान के शोध निदेशक रेस्मस क्लीस नील्सन ने मीडिया के कारोबारी परिप्रेक्ष्य पर विस्तार से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता से भरपूर खबर की मांग एवं उसकी आपूर्ति का मुद्दा काफी अहम है। उनका कहना एकदम सही है। अच्छी गुणवत्ता वाली पत्रकारिता के लिए ढेर सारे पैसों की जरूरत होती है लेकिन पाठक हमेशा उसका भुगतान करने को तैयार नहीं होते हैं। द फाइनैंशियल टाइम्स या द इकनॉमिस्ट जैसे अखबार जरूर इसके अपवाद हैं।

भले ही भारत में अखबार संपादकीय रूप से एक हद तक अच्छा काम कर रहे हैं और वे मुनाफे में भी चल रहे हैं लेकिन विज्ञापनों पर उनकी अतिशय निर्भरता का नतीजा यह होता है कि वे विज्ञापनदाता से दबाव आने का पहला संकेत मिलते ही झुक जाते हैं। भारत के करीब 400 समाचार चैनलों में से आधे चैनलों का स्वामित्व ऐसे लोगों के हाथ में है जो मीडिया स्वामित्व को प्रभाव, उगाही या अनुचित लाभ का जरिया मानते हैं। ये चैनल सनसनी पैदा करने वाली रिपोर्ट दिखाते हैं, उनके स्टूडियो में बैठे ऐंकर तीखी बहस करते हैं और फालतू मुद्दों पर चीख-चीखकर बोलते हैं।

वैश्विक स्तर पर मीडिया स्वामित्व का ढांचा एक सशक्त समाचार परिवेश बनाने में बड़ी भूमिका निभाता है। द इकनॉमिस्ट और द गॉर्डियन का स्वामित्व आंशिक रूप से ट्रस्ट के पास है। बीबीसी की फंडिंग ब्रिटेन के टीवी उपभोक्ताओं द्वारा दी जाने वाली लाइसेंस फीस से होती है। इस तरह दुनिया के बेहतरीन मीडिया ब्रांड में ऐसा स्वामित्व ढांचा है जो उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाता है। हम जब तक मीडिया में स्वामित्व का बढ़िया ढांचा प्रोत्साहित नहीं करेंगे और बुरे ढांचे को हतोत्साहित नहीं करेंगे तब तक यह समस्या जारी रहेगी। मसलन, मीडिया संस्थानों पर नेताओं, सरकारी निकायों, धार्मिक संगठनों या सरकार के स्वामित्व पर सख्ती बरतने से मदद मिलेगी। राजस्व, लागत, स्वामित्व और शेयरधारिता पैटर्न संबंधी विवरणों के बारे में पारदर्शिता पर बल देना भी फायदेमंद होगा। जमीनी हकीकत दिखाने वाली रिपोर्टिंग में अखबारों, वेबसाइट और समाचार चैनलों के लिए निवेश को सहज बनाया जाए- चाहे वह कर अवकाश हो या बेहतरीन पत्रकारिता संस्थानों को अनुदान देना हो। मीडिया साक्षरता देने वाले स्कूलों एवं संस्थानों को विशेष प्रोत्साहन भी दिए जा सकते हैं। मेरे हिसाब से विज्ञापनदाता साक्षरता के लिए पाठ्यक्रम चलाने पर अलग प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। अगर विज्ञापनदाता फर्जी खबरों एवं असली खबरों में फर्क कर सकें और फर्जी खबरों से पैसे निकालने लगें तो ऐसी गलत खबरें परोसने वाले मीडिया समूह अगर खत्म नहीं तो कम जरूर हो जाएंगे। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने भी 2014 की एक रिपोर्ट में ऐसी अनुशंसाएं की थीं।

हालांकि इनमें से कोई भी कदम किसी भी सरकार द्वारा नहीं उठाया जा सकता है। भारत के लिए ब्रिटेन के संचार नियामक ऑफकॉम की तरह की व्यवस्था कारगर हो सकती है जो एक संसद-समर्थित स्वतंत्र मीडिया नियामक होगा। मीडिया की स्वतंत्रता एवं अच्छी पत्रकारिता के प्रोत्साहन के लिए मीडिया कंपनियों के मालिकों को यह स्वीकार करना होगा कि स्व-नियमन का अब तक अपनाया गया तरीका नाकाम हो चुका है। उन्हें जल्द ही इसके विकल्पों के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। अगर भौतिक ढांचे का किसी देश की आर्थिक प्रगति पर कई गुना असर होता है तो सूचना एवं समाचार ढांचे का भी उसकी बौद्धिक पूंजी यानी लोगों पर ऐसा ही असर होता है। अगर हमारे लोकतंत्र की गुणवत्ता गलत जानकारियों की चपेट में है तो मीडिया को इसका मुकाबला करने के लिए अच्छी पत्रकारिता को भी सशक्त बनाना होगा।

कानाफूसी

नीति आयोग का नवाचार!

अगर आपको लगता है सरकारी विज्ञापन रूढ़िवादी और परंपरावादी लोगों द्वारा अपने ही जैसे अन्य लोगों के लिए तैयार किए जाते हैं तो आप गलत हैं। नीति आयोग के एक हालिया विज्ञापन ने अपने नवाचार के कारण लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। ट्विटर पर दिए गए इस विज्ञापन में कहा गया था कि सरकार के इस थिंक टैंक को वरिष्ठ विशेषज्ञों और व्यवहारात्मक अर्थशास्त्र के जानकारों की जरूरत है। विज्ञापन की भाषा बहुचर्चित फिल्म रंग दे बसंती से प्रेरित थी। नीति आयोग का यह विज्ञापन कुछ इस तरह शुरू हुआ-कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। सन 2006 में आई रंग दे बसंती में एक संवाद था- कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता..उसे बेहतर बनाना पड़ता है।

नाराज बसपा विधायक

कर्नाटक और गोवा की घटनाओं पर करीबी नजर रखने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस के सभी विधायकों तथा पार्टी का समर्थन कर रहे अन्य दलों के तथा निर्दलीय विधायकों से कहा है कि वे राज्य की राजधानी में बने रहें। कमलनाथ ने बुधवार की देर रात विधायकों को संबोधित किया और उनसे कहा कि वे भोपाल से बाहर नहीं जाएं। परंतु बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के विधायक संजीव कुशवाहा शहर में होने के बावजूद इस बैठक में शामिल नहीं हुए। सबको मालूम है कि बसपा के दोनों विधायक रामबाई और कुशवाहा राज्य सरकार और कुछ मंत्रियों से बहुत नाखुश हैं। रामबाई सार्वजनिक रूप से कह चुकी हैं कि उनके परिजनों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं। वह मंत्री पद की इच्छा भी जता चुकी हैं। उधर, कुशवाहा ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस के कुछ मंत्रियों से उन्हें समस्या है और वह मुख्यमंत्री से इस बारे में बातचीत करेंगे।

आपका पक्ष

एनआईए संशोधन विधेयक मंजूर

राज्य सभा से एनआईए संशोधन विधेयक पारित हो गया है। लोकसभा में यह पहले ही पारित हो चुका है। इससे विदेशों में आतंकवादी घटनाओं में भारतीय नागरिकों के प्रभावित होने की स्थिति में एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) मामला दर्ज कर सकेगी। इसके साथ ही एनआईए अन्य देशों में जाकर जांच कर सकेगी। राज्य सभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विदेशों में कहीं भी आतंकवादी घटनाओं में भारतीय नागरिक भी हताहत होते हैं और भारतीय दूतावास प्रभावित होते हैं। घटनाओं में जानमाल का नुकसान होता है लेकिन भारत के पास कानूनी कार्रवाई का कोई अधिकार नहीं होता है। घटना के बाद भारतीय अधिकारी वहां जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि आपके पास कानून कहां हैं। एनआईए कानून के तहत अब विदेशों में जांच हो सकेगी। साह ने बताया कि वर्ष 2014 से जुलाई 2019 तक कुल 195 मामले दर्ज हुए हैं। इनमें से 129 मामलों में आरोपपत्र दाखिल किए गए हैं। ऐसे 44 मामलों में अदालत के फैसले भी आ चुके हैं। इनमें से 41 मामलों में दोषियों को सजा भी हो चुकी है। मामले में 184 आरोपियों को दोषी ठहराया गया है। ये सभी मामले आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े मामले हैं। देश में कानून की कमी से कभी आरोपी पर दोषमुक्त हो जाता है जिसका फायदा आतंकवादी उठाते आ रहे हैं। आतंकवादी देश में घुसकर आतंकी घटना को अंजाम देते हैं और भाग जाते हैं। इसके बाद कानून की कमी के कारण उस पर पकड़ नहीं बनाई जा सकती है। जो आतंकवादी घटना के समय पकड़े जाते हैं उन पर मुकदमा चलता है। अब एनआई कानून में संशोधन से ऐसी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने वाले आतंकियों को सजा मिल सकेगी। इसके बाद आतंकवादी भारत में हमला करने से पहले सोचने पर मजबूर होंगे।

अभिषेक सिन्हा, नई दिल्ली

एनआईए संशोधन विधेयक पिछले दिनों राज्य सभा से पारित हो गया

राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण का मुद्दा

देश के पूर्वोत्तर राज्य में राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण (एनआरसी) चल रहा है। इसका मकसद विदेशी घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें उनके देश में वापस भेजना है। ऐसा माना जाता है कि बांग्लादेश से असम में बड़ी संख्या में लोग आ गए थे। देश में असम ऐसा पहला राज्य है जहां एनआरसी है जिसे सबसे पहले 1951 में तैयार किया गया था। देश में विदेशी घुसपैठ की घटनाएं होती रहती हैं। पश्चिम बंगाल में भी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में देशहित के लिए यह जरूरी है। ऐसे लोग भारत में आकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। रोहिंग्या मामला इसका उपयुक्त उदाहरण है।

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।

दैनिक जागरण

दुख के कारणों की समझ ही दुख का इलाज है

भीड़ की मनमानी

बिहार के छपरा में मवेशी चोरी के आरोप में तीन लोगों की पीट-पीट कर हत्या नए सिरे से यह बता रही है कि भीड़ की हिंसा पर रोक लगाने की सख्त जरूरत है। भीड़ की हिंसा के मामले जिस तरह थमने का नाम नहीं ले रहे हैं उससे केवल कानून एवं व्यवस्था के समक्ष गंभीर सवाल ही नहीं उठ रहे हैं, बल्कि देश की बदनामी भी हो रही है। भीड़ की हिंसा के मामले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हो रहे हैं और वे भारत की छवि एक ऐसे देश की बना रहे हैं जहां लोग कानून हाथ में लेने को उतावले दिखते हैं। यह सही है कि भीड़ की हिंसा पहले भी होती रही है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं हो सकता कि उस पर लगाम लगती न दिखे। बीते कुछ समय से भीड़ की हिंसा पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाने की मांग हो रही है। खुद सुप्रीम कोर्ट इसकी जरूरत रेखांकित कर चुका है। हालांकि कुछ राज्य सरकारें भीड़ की हिंसा से निपटने के लिए कानून बनाने का उपक्रम कर रही हैं, लेकिन अगर यह सोचा जा रहा है कि केवल कानून बन जाने से समस्या का समाधान हो जाएगा तो यह सही नहीं। विधि के शासन को केवल नित-नए कानून बनाकर सशक्त नहीं किया जा सकता। कानून का निर्माण करने के साथ ही यह भी देखना होगा कि आखिर किन कारणों से भीड़ की हिंसा हो रही है? इन कारणों का निवारण भी करना होगा और यह तब होगा जब पुलिस को संसाधनों से लैस करने पर ध्यान दिया जाएगा।

भीड़ की हिंसा कभी बच्चों की चोरी के आरोपितों के खिलाफ होती है तो कभी मवेशी चोरी के संदिग्धों के साथ। छपरा में यही हुआ। यहां भीड़ ने मवेशी चोरी के संदेह में तीन युवकों को पकड़ा और फिर उन्हें इतना पीटा कि उनकी मौत हो गई। कुछ ही समय पहले झारखंड में भी एक चोर की पिटाई के चलते मौत हो गई थी। गत दिवस वैशाली में भी एक संदिग्ध बैंक लुटेरे की पिटाई से मौत हुई। चूंकि छपरा में मरने वालों में हिंदू और मुसलमान, दोनों हैं इसलिए स्वाभाविक तौर पर यह एजेंडा चलाने वालों को मुश्किल हो सकती है कि भीड़ की हिंसा केवल एक खास वर्ग के खिलाफ हो रही है। इसमें दोराय नहीं कि यह एजेंडा संकीर्ण राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए चलाया जा रहा है। इसी एजेंडे के चलते इस पर गौर करने से इन्कार किया जाता है कि मवेशियों की चोरी के साथ गोवंश की हत्या के मामले भी थम नहीं रहे हैं। भीड़ की हिंसा को संकीर्ण राजनीति का जरिया बनाने से रोका ही जाना चाहिए, लेकिन यह तभी रुकेगा जब पुलिस छोटे-बड़े मसलों पर कानून हाथ में लेने की प्रवृत्ति पर लगाम लगाने के लिए मुस्तैदी से काम करेगी। चूंकि कानून एवं व्यवस्था राज्यों का विषय है इसलिए उन्हें सक्रियता और सतर्कता का परिचय देना ही होगा, लेकिन यह भी समय की मांग है कि केंद्र सरकार राज्यों पर इसके लिए दबाव बनाए कि वे ऐसे माहौल का निर्माण तत्परता से करें जिससे भीड़ मनमानी करने से भय खाए।

भर्ती प्रक्रिया

उत्तराखंड में विभिन्न महकमों में रिक्त चल रहे हजारों पदों पर अभी तक भर्ती प्रक्रिया शुरू न हो पाना चिंताजनक है। विभागों की इस दिशा में गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद केवल 32 विभागों ने ही रिक्त पदों से संबंधित सूचना शासन को भेजी है। इतना ही नहीं, पदोन्नति के रिक्त पद भी विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण नहीं भर पाए हैं। इसका कारण अधिकारियों द्वारा मातहतों की समय से वार्षिक चरित्र पंजिका में एंट्री न करना है। यह स्थिति सरकारी अधिकारियों की लचर कार्यशैली को प्रदर्शित करती है। दरअसल एक अनुमान के मुताबिक प्रदेश के सरकारी विभागों में तकरीबन 30 हजार से अधिक पद रिक्त हैं। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान यह बात सामने आई थी कि प्रदेश के सरकारी एवं अर्द्धसरकारी महकमों में तकरीबन 2.15 लाख पद सृजित हैं और इनके सापेक्ष 1.75 पदों पर ही कर्मचारी कार्यरत हैं। ऐसे में रिक्त पदों की संख्या 40 हजार के आसपास आंकी गई। उस समय सरकार ने इन रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए थे। तब से तकरीबन आठ हजार पदों को पदोन्नति अथवा नई भर्ती के जरिये भरने की कवायद शुरू हो पाई है। यह भी देखने में आया है कि भर्ती प्रक्रिया में आयोग को अधूरी नियमावली एवं स्पष्ट जानकारी न देने के कारण मामले अदालत में पहुंच जाते हैं जिससे रिक्त पदों को भरने में अनावश्यक देरी होती है। ऐसा ही हाल विभागीय पदोन्नति का है। समय से वार्षिक चरित्र पंजिका को पूरा न करना और नियमों के विपरीत पदोन्नति की प्रक्रिया अपनाने के कारण कई मामले कोर्ट में लंबित हैं। कर्मचारियों को अपने हक के लिए झंडे डंडे उठाने पड़ रहे हैं। साफ है कि बेरोजगारी को दूर करने और कर्मचारियों के साथ सामंजस्य बैठाने के सरकारी प्रयासों पर अधिकारियों की लापरवाह कार्यशैली रोड़ा अटका रही है। सरकारी नौकरी की राह तक रहे युवाओं को भी सिस्टम की यह चाल बेहाल कर रही है। सरकार ने अब इस मामले को गंभीरता से लिया है और व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार के ये दिशानिर्देश सरकारी सिस्टम में न उलझ कर रह जाएं, बल्कि धरातल पर भी उतरें। भर्ती प्रक्रिया समय से हो, इसकी निगरानी केवल अधिकारियों के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती, इसके लिए सरकार को नियमित फीड बैक भी लेना होगा।

आर्थिक मोर्चे पर अहितकारी समाजवाद

तरुण गुप्त

यह राज्य का दायित्व है कि वह अपने नागरिकों को गरीबी से निकालकर बेहतर सुविधाएं प्रदान करे, लेकिन इसके लिए धनी वर्ग पर जरूरत से ज्यादा करों का बोझ तार्किक नहीं

समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द हमारे संविधान की मूल उद्देशिका में नहीं थे। इन्हें संविधान निर्माताओं ने नहीं, बल्कि 1976 में आपातकाल के दौरान जोड़ा गया। यह आर्थिक उदारीकरण से पहले का वह दौर था जब शीत युद्ध चरम पर था। तब सोवियत संघ हमारा सदाबहार दोस्त हुआ करता था। उस दौर में समाजवाद के आदर्शों का खूब महिमामंडन होता था। साहित्य, सिनेमा से लेकर असल जिंदगी में, हर जगह समाजवादी दर्शन को सराहा और मुक्त बाजार एवं पूंजीवाद को दुत्कारा जाता। एक बुद्धिजीवी ने तो यह जुमला भी उछाला कि अगर कोई 21 साल की उम्र में समाजवाद से प्रभावित नहीं तो वह संवेदनहीन है। इसके विरोधाभास में उन्होंने यह भी कहा कि अगर वही व्यक्ति 30 वर्ष की आयु तक समाजवादी बना रहता है तो वह अव्यावहारिक है। भले ही काल्पनिक सही, लेकिन एक वाकया इस नैतिक अंतर्द्वंद्व का निवारण करने में सहायक है।

अर्थशास्त्र के एक प्रोफेसर और उनके छात्रों के समाजवाद पर विरोधाभासी विचार थे। ऐसे में प्रोफेसर ने एक प्रयोग करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि सभी छात्रों के अंकों का औसत करके सभी को बराबर अंक दिए जाएंगे जिससे शायद कोई छात्र फेल नहीं होगा, पर संभवतः किसी को ए ग्रेड भी नहीं मिलेगा। पहले टेस्ट के बाद सभी छात्रों को औसतन बी ग्रेड मिला। जिन छात्रों ने कड़ी मेहनत की थी और जिनके ज्यादा अंक आते थे, वे इससे बेहद नाखुश हुए। वहीं जिन्होंने कम पढ़ाई की और जिनके कम अंक आते थे, वे बहुत खुश हुए। जब दूसरे टेस्ट की बारी आई तो अकर्मण्य छात्रों ने और कम पढ़ाई की और परिश्रमी छात्र भी हाथ पर हाथ धरकर बैठ गए, क्योंकि वे इससे खिन्न थे कि उनके परिश्रम का लाभ अपात्र छात्रों को दे दिया गया। परिणामस्वरूप दूसरे टेस्ट में सभी को औसतन डी ग्रेड मिला। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि हर किसी ने पढ़ना नहीं छोड़ दिया और अंत में सभी फेल हो गए। जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर कुछ बड़ा हासिल करना है तो उसके लिए प्रयास भी उसी अनुपात में होना चाहिए। यदि सरकार प्रतिफल छीन लेगी तो प्रयास स्वाभाविक रूप से कम हो जाएंगे। प्रतिफल के अभाव में कोई भी सफल होने की परवाह नहीं करेगा। जब आधे लोगों को यह लगने लगे कि उन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि बाकी आधे लोगों की मेहरबानी से उनका काम चल जाएगा तो आधे लोग यही सोचेंगे कि उन्हें परिश्रम करके क्या लाभ? इससे समूचा तंत्र चरमरा जाएगा।

आखिर सरकारों का झुकाव समाजवाद की ओर क्यों है? इसका स्वाभाविक जवाब होगा चुनावी राजनीति, क्योंकि लोकतांत्रिक राजनीति में जीत ही सबसे बड़ा पहलू है और लोकप्रिय होना ही किसी भी दल के लिए सबसे बड़ी कसौटी होती है। आर्थिक दृष्टि से वामपंथ की ओर झुकाव में यह राजनीतिक लाभांश अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है, पर केवल यही इकलौता पहलू नहीं है। भारत में जहां समाज कई वर्गों में विभाजित है, जिसकी प्रति व्यक्ति आय अत्यंत न्यून और कई पैमानों पर जीवन स्तर गुणवत्ता बेहद खराब है वहां सामाजिक कल्याण के लिए खर्च करना अपरिहार्य है। यह राज्य का दायित्व है कि वह नागरिकों को गरीबी, लचर स्वास्थ्य और अशिक्षा के दलदल से बाहर निकालकर गरिमामय जीवन प्रदान करे। क्या पूंजीवाद और मुक्त बाजार के समर्थक ऐसे जरूरी सुधार का विरोध करते हैं? बिल्कुल नहीं। केवल उनका दृष्टिकोण अलग होता है। उनका विचार यह होता है कि देश के संसाधनों को बांटने से अधिक जोर बढ़ाने पर दिया जाना चाहिए। जैसा कि राष्ट्रपति कैनेडी ने कहा था कि ज्वार का उफान सभी कश्तियों की नैया पार लगा देता है। केंद्र सरकार ने बजट में बिजली, पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ आवास और कनेक्टिविटी पर जोर देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने का जो एलान किया उसकी सभी वर्गों को सराहना करनी चाहिए। न केवल समानता, बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह एक दमदार नीति है जिससे मांग में वृद्धि होगी। हालांकि अति संपन्न वर्ग के लिए हद से ज्यादा और लगभग दंडात्मक टैक्स दरों के पीछे के तर्क को समझना कठिन है। इसके अतिरिक्त कारपोरेट टैक्स की दरों में चरणबद्ध कटौती के वादे के बावजूद दरें कम नहीं की गईं। लाभांश वितरण कर का ढांचा भी न्यायोचित नहीं।

अवधेश राजपूत

मान लीजिए कि एक बड़ी कंपनी 100 रुपये लाभ अर्जित करती है। कारपोरेट कर की सर्वोच्च दर के साथ उपकर एवं अधिभार के रूप में लगभग 35 प्रतिशत चुकाने के बाद कर उपरांत लाभ में उसके पास 65 प्रतिशत शेष बचेगा। यदि प्रबंधन उस लाभ को शेयरधारकों में वितरित करना चाहे तो कंपनी को लाभांश वितरण कर के रूप में तकरीबन 20 प्रतिशत कर देना होगा जो लगभग 11 रुपये होगा। तब 54 रुपये बचेंगे। प्राप्तकर्ता को इन 54 रुपये पर फिर 10 प्रतिशत कर देना होगा तो उसे केवल 48.5 रुपये मिलेंगे। इस प्रकार लाभांश वितरण की प्रभावी लागत 51.5 प्रतिशत होती है। कराधान का मूल सिद्धांत यह है कि वह केवल एक स्तर पर लागू होना चाहिए। यहां कर तीन स्तरों पर लिया जा रहा है। अगर यह उत्पीड़न नहीं तो क्या है? इससे खिन्न लोग शायद लाभांश वितरित ही न करें। इसके बजाय वे अपने सभी निजी खर्चों को कंपनी में दिखाने का प्रयास करें और स्वीकार्य कारोबारी व्यय के रूप में उसे निकालकर कंपनी के कर योग्य लाभ को कम करने का प्रयास करें। याद रखें कि अवैध कर वंचन और वैधानिक तौर पर कर से बच निकलने में बड़ी बारीक रेखा होती है। हमारे नियम ऐसे होने चाहिए जो कर अनुपालन को प्रोत्साहित करें।

चालू वित्त वर्ष में सरकार का अनुमानित व्यय लगभग 28 लाख करोड़ रुपये है। इसमें उपरोक्त करों से जितना हासिल नहीं होगा, उससे बड़ा नुकसान नकारात्मक संदेश से हो जाएगा। यह एक कुतर्क ही है कि हम विकसित देशों से तुलना करते हुए दावा करें कि अति धनी वर्ग पर हमारे यहां कर की दर अभी भी कम है। क्या हम वैश्विक स्तर पर सबसे खराब चलन को अपनाने के इच्छुक हैं? क्या हमारी सरकारी सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा के स्तर की उनसे जरा भी तुलना की जा सकती है?

भारत में जीडीपी के अनुपात में कर संग्रह लगभग 11 प्रतिशत है जो विकसित देशों के 20 प्रतिशत की तुलना में काफी कमजोर है। स्वाभाविक रूप से हमारी प्राथमिकता कर दायरे का विस्तार कर टैक्स संग्रह बढ़ाने की है, लेकिन अतार्किक और असंगत दरों से कर अनुपालन को कभी प्रोत्साहन नहीं मिलता।

निःसंदेह समाज के सबसे गरीब और कमजोर तबकों के प्रति राज्य की बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन एक समतावादी सिद्धांत के तहत उसे साधन-संपन्न वर्ग के लिए भी उतना ही प्रतिबद्ध होना चाहिए। आर्थिक मोर्चे पर धनी वर्ग भले ही बड़ी हिस्सेदारी रखता हो, लेकिन राजनीतिक महत्व के लिहाज से अल्पसंख्यक है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उसके साथ अन्याय हो। किसी को फायदा पहुंचाने के लिए किसी अन्य से छीनने की जरूरत नहीं है। अमीरों का पतन करके गरीबों का उत्थान नहीं किया जा सकता। आप धन संपदा बांटकर उसे नहीं बढ़ा सकते। इतिहास ऐसी तमाम मिसालों से भरा पड़ा है।

response@jagran.com

उम्मीदों के नए आसमान पर चंद्रमा

अभिषेक कुमार सिंह

चंद्रमा पर पदार्पण की 50वीं वर्षगांठ भविष्य में हमारे लिए चांद की उपयोगिता के बारे में जानने का एक सुनहरा अवसर है

मानव इतिहास की तरक्की दर्शाती कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जिन्हें विस्मृत करना कठिन है। एक तस्वीर वह है जब 1963 में भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो अपने पहले रॉकेट का प्रक्षेपण तिरुवनंतपुरम स्थित थुंबा प्रक्षेपण केंद्र से करने जा रही थी तो उस रॉकेट के हिस्सों को साइकिल पर रखकर ले जाया गया था। दूसरी 20 जुलाई, 1969 की है, जब अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के यान अपोलो-11 में सवार अमेरिकी एयरफोर्स के दो पायलट नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बज एल्ड्रिन पहली बार चंद्रमा पर जा उतरे थे। इसके बाद की एक तस्वीर 2008 की है, जब भारत का चंद्रयान चांद की परिक्रमा लगाने अंतरिक्ष में जा पहुंचा था। उम्मीद है कि अब कुछ नई तस्वीरें हमें तब मिलेंगी जब 22 जुलाई, 2019 को प्रक्षेपण के 52 दिन बाद भारत का चंद्रयान-2 पहली बार चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचेगा और उसका रोवर प्रज्ञान अपने एक पांव से अशोक स्तंभ और दूसरे पांव से इसरो के प्रतीक चिह्न की छाप छोड़ता नजर आएगा।

बेशक चांद पर जाने की कल्पना कई देश कर रहे हैं, पर ज्यादा बड़ी बात तब होगी जब मानव सभ्यता को आगे ले जाने वाले तथ्य मिलेंगे। यही वह कसौटी है जो चंद्रमा पर मनुष्य के पदार्पण की इस 50वीं वर्षगांठ के नजरिये से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी कसौटी पर खरा उतरने से भावी अंतरिक्ष कार्यक्रमों की रूपरेखा तय होगी और पता चलेगा कि सदियों से जिस आसमान की ओर हम टकटकी लगाए देखते रहे हैं उसके अन्वेषण से हमारे जमीनी विकास में क्या और कितनी मदद मिलेगी? अंतरिक्ष से इंसान के परिचय का सिलसिला 4 अक्टूबर, 1957 को शुरू हो गया था, जब तत्कालीन सोवियत संघ ने पहला उपग्रह स्पुतनिक-1 छोड़ा था, लेकिन तब कोई यह नहीं जानता था कि अगले चंद वर्षों में ही मानव के चरण चांद तक पहुंच जाएंगे और उससे भविष्य के अंतरिक्ष कार्यक्रमों की ठोस शुरुआत हो जाएगी। हालांकि वियतनाम युद्ध से पैदा हुए उलझाव और अंतरिक्ष कार्यक्रमों पर बढ़ते खर्च से झुंझलाकर अमेरिका ने अपने छह मून मिशन के बाद 1972 में चांद पर इंसान को भेजे जाने के सिलसिले को एकतरफा बंद कर दिया था, लेकिन इस टूटे क्रम को फिर से जोड़ने का साहस भारत-चीन जैसे देशों ने किया। 2008 में भारत के चंद्रयान-1 अभियान के समय दो सवाल हरेक के मन में थे। पहला कि क्या इससे हमारी गरीबी का कोई हल निकलेगा और दूसरे, क्या चंद्रयान-1 पहले से काफी हद तक जान लिए चांद और उसके रहस्यों पर कोई नई रोशनी डालने में सफल होगा। पहले सवाल का यह जवाब बीते अरसे में बखूबी मिला है कि यह मामला महज चंद्रयान भेजने का नहीं, बल्कि स्पेस मार्केट में इसरो की धाक जमाने का था। आज दुनिया में भारत के पीएसएलवी और जीएसएलवी रॉकेटों की काफी पूछ है और दुनिया के कई मुल्क सस्ते में अपने उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए उन पर भरोसा कर रहे हैं। इससे इसरो की जो कमाई हुई है वह अंततः देश के चौतरफा विकास में मददगार साबित हुई है। दूसरे सवाल के भी ठोस जवाब चंद्रयान-1 से हासिल डाटा के आधार पर मिल चुके हैं, जिन्होंने चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी की पुष्टि की है।

चंद्र-सतह पर पदार्पण की 50वीं वर्षगांठ बेशक मनुष्य की उपलब्धियों का जश्न मनाने का एक मौका है, पर यह अवसर इस सवाल का जवाब पाने की जरूरत पैदा करता है कि क्या भविष्य में चंद्रमा हमारे लिए उपयोगी होगा। वैज्ञानिकों का तर्क है कि चंद्रमा जल्द ही सुदूर अंतरिक्ष अभियानों के लिए एक महत्वपूर्ण अड्डा बन सकता है। उसके बहुमूल्य खनिज किसी दिन पृथ्वी के काम भी आ सकते हैं। समझा जाता है कि चांद पर यूरेनियम, टाइटेनियम आदि बहुमूल्य धातुओं के भंडार हैं। वहां सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए भी पर्याप्त अवसर मौजूद हैं। चंद्रमा के विकास को समझ कर हम पृथ्वी की उत्पत्ति की गुत्थियों को भी सुलझा सकते हैं। समझा जाता है कि करीब 4.51 अरब वर्ष पहले मंगल के आकार के एक पिंड के पृथ्वी से टकराने से उत्पन्न मलबे से चंदमा की उत्पत्ति हुई थी। बहुत से वैज्ञानिक चांद को पृथ्वी का ही हिस्सा मानते हैं। असल में चंद्रमा पर अब भेजे जाने वाले ज्यादातर मिशनों में चांद के ध्रुवों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अभी कोई लैंडर चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों में नहीं पहुंचा है, लेकिन परिक्रमा यानों से प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि दोनों ध्रुवों की चट्टानों और छायादार क्रेटरों में अरबों टन बर्फ मौजूद है। इस बर्फ और उसमें जमा पदार्थों के विस्तृत विश्लेषण से हमें इस सवाल का जवाब मिल सकता है कि पृथ्वी पर पानी कहां से आया और जीवन निर्माण की सामग्री कहां से आई? चंद्रमा पर पानी प्रचुर मात्रा में होगा तो वहां इंसानी बस्ती बसाने का सपना भी साकार हो सकेगा। ईंधन का स्रोत चांद पर ही उपलब्ध होने से भविष्य में सुदूर अंतरिक्ष अभियानों का संचालन करना भी आसान हो जाएगा।

response@jagran.com

ऊर्जा

प्रार्थना

ईश्वर द्वारा बनाए गए सभी जीवधारियों में मनुष्य ही एक ऐसा जीवधारी है जो ईश्वर की प्रार्थना उपासना और आराधना करता है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि मनुष्य ने ही परम पिता की रहस्यमई प्रकृति को देख कर और उसे समझ कर उसको जाना और पहचाना है। पशु ऐसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को नहीं पहचाना है। जो परम पिता की आराधना, प्रार्थना या स्तुति नहीं करता है उसे मनुष्य नहीं कहा जा सकता है। ऐसे लोग ऊपर से भले ही मनुष्य दिखते हों, किंतु भीतर से वे जड़ के समान ही अज्ञानी हैं। इसलिए उनको पशु ही समझने में कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए। वास्तव में परमात्मा की प्रार्थना न करना उसके द्वारा प्रदान किए गए असीम अनुदानों की अवज्ञा ही है। प्रार्थना न केवल हमारे हृदय के क्लेश को मिटाती है, बल्कि यही प्रार्थना हमें परमात्मा का असीम प्यार प्रदान कर आनंद से परिपूर्ण कर देती है।

प्रार्थना का अभिप्राय केवल मंदिर जाकर पूजा करने तक या मस्जिद में नमाज अदा करने तक ही सीमित नहीं है। संपूर्ण ईश्वरी व्यवस्था को अपनी मेहनत से फलीभूत करना भी एक प्रार्थना है और उसकी इस व्यवस्था में उसका सहायक बनना भी उसकी प्रार्थना का ही एक अंग है। हमें हर एक के दुर्गुणों को भूलकर उनकी सेवा करना और उनकी उन्नति में सह भागीदार बनना भी प्रार्थना ही है। वास्तव में प्रार्थना का बीज अंतः करण की पवित्र भूमि पर ही अंकुरित, पुष्पित और पल्लवित होता है। इसी से मनुष्य को प्रार्थना का आनंद मिलता है।

प्रार्थना मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाने का एक उत्तम साधन भी है। मनुष्य जब किसी कार्य को कर पाने में अपने को सक्षम नहीं पाता है तब वह इसके पूर्ण होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है और जब इस प्रकार से उसके कार्य पूर्ण हो जाते हैं तब यही प्रार्थना चमत्कार के रूप में परिणित हो जाती है। प्रार्थना वास्तव में आत्मा की पुकार होती है और यही प्रार्थना आत्मा की जितनी ही अधिक गहराई से संपन्न होती है उतनी ही अधिक चमत्कारी भी हो जाती है। इसलिए सच्ची प्रार्थना वही है जिसके आवाज रूपी भाव ऐसी तरंगों को विकसित करें जिसमें यही महसूस हो रहा हो जैसे ये तरंगें मन की गहराइयों से प्रस्फुटित हो रही हों।

वीके जायसवाल

सोशल मीडिया और हमारी निजताएं

अंशुमाली रस्तोगी

सोशल मीडिया आदत से अधिक बीमारी बनता जा रहा है। इस बीमारी की जद में बच्चे और बूढ़े सभी हैं

यह कहना मुनासिब न होगा कि आज के दौर में सोशल मीडिया हमारी निजता को ध्वस्त करने में लगा है। इसके उलट हकीकत यह है कि हम खुद ही अपनी निजताओं को यहां उघाड़ रहे हैं। हमने अपना निजी यहां कुछ भी नहीं रख छोड़ा है। शायद ही ऐसी कोई चीज या बात रह जाती हो जिसे हम यहां साझा न करते हों। हमारे खाने-पीने, जागने-सोने, घुमने-फिरने या चोट आदि लगने तक सबकुछ सोशल मीडिया पर डाल कर खुद को हम तृप्त-सा महसूस करते हैं। आज सोशल मीडिया आदत से अधिक बीमारी बनता जा रहा है। इस बीमारी की जद में बच्चे और बूढ़े सभी हैं। इसे हमने जीवन का अहम हिस्सा बना लिया है। न इससे आगे और न इसके इतर हम कुछ सोचना ही नहीं चाहते। पहले जमाने में व्यक्ति अपनी निजताओं को सिमेटकर रखता था और अब ये सार्वजनिक हैं।

किसी का किसी से यहां कुछ भी छिपा नहीं है। किसी वक्त में बेडरूम की बातें बेडरूम तक ही महदूद रहा करती थीं, अब कुछ भी दबा-ढंका नहीं। हम अपने बेडरूम से लेकर वाशरूम तक को सोशल मीडिया पर ले आए हैं।

ऐसे ही किसी कारण जब कभी हमारी निजता भंग होती है, तब सारा दोष सोशल मीडिया पर मढ़ दिया जाता है। इसे खलनायक बनाकर पेश किया जाता है। तब हम रत्तीभर भी यह सोचना-समझना नहीं चाहते कि जो यहां हम कर रहे हैं क्या वह उचित है? क्या निजताओं को ऐसे ही सार्वजनिक किया जाना चाहिए?

बहुत साफ-सीधी सी बात है या तो सोशल मीडिया के बहाने अपनी निजताओं के भंग होने का रोना मत रोइए या फिर यहां से हमेशा के लिए हट जाइए। हट जाना शायद मुमकिन न होगा। क्योंकि हमारा सभी कुछ तो अब इस पर निर्भर है! जीवन इसके बिना अधूरा-सा लगता है।

अभी हाल में छपी इस खबर ने ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं किया कि गूगल हमारे बेडरूम की निजी बातें सुन रहा है। प्रकाशित रिपोर्ट यह दावा करती है कि केवल स्मार्टफोन में एक्टिव वॉयस असिस्टेंट ही नहीं, बल्कि स्मार्ट होम स्पीकर्स एवं सुरक्षा कैमरों के सहारे भी आपकी बातचीत की रिकॉर्डिंग होती है।

सवाल यह है कि कहां तक खुद को बचाइएगा! यहां तो कदम-कदम पर स्मार्ट टूल आपकी-हमारी निजता को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और दुनिया से कटकर भी नहीं रहा जा सकता।

स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के वर्चस्व के बीच झूलते हम चाहकर भी इससे कदम पीछे नहीं खींच सकते। हम अपनी निजता को ध्वस्त होने देना चाहते हैं, लेकिन यहां से अलगाव अब संभव नहीं शायद। निजी जिंदगी को हमने इन्हें सौंप दिया है। हां, यहां पर आवाजाही कम जरूर की जा सकती है, किंतु खत्म नहीं। फेसबुक, ट्विटर, वाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि के सहारे ही हम चल रहे हैं। अब यह निर्भर हम पर है कि हम अपनी निजता को कैसे सुरक्षित रख पाते हैं। अगर नहीं रख पाते तो कोई न कोई स्मार्ट टूल हमारी निजता को सार्वजनिक (पब्लिक) कर ही देगा, ध्यान रखें।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

भरोसे लायक नहीं है पाकिस्तान

लंबी खिंचेगी जाधव को बचाने की लड़ाई शीर्षक से लिखे अपने लेख में विवेक काटजू की इस आशंका को निराधार नहीं ठहराया जा सकता कि अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के निर्देश के बावजूद पाकिस्तानी कोर्ट जाधव के केस में त्वरित पुनर्विचार करके कोई सकारात्मक कदम उठाएगा। अपनी शत्रुतापूर्ण नकारात्मक सोच के साथ भारत पर प्रत्यक्ष रूप से चार युद्ध थोपने वाला पाकिस्तान जिस तरह से आतंकवाद की ओट में छद्म युद्ध छेड़कर भारत को लहूलुहान कर रहा है, उससे जाधव मामले में किसी सकारात्मक परिणाम की उम्मीद नहीं की जा सकती। बावजूद इसके यदि कोई पाकिस्तान द्वारा की गई विंग कमांडर अभिनंदन की त्वरित रिहाई को जाधव प्रकरण से जोड़कर देखता है तो यह एक भ्रम के सिवाय कुछ नहीं होगा। भारतीय सैन्य अधिकारी अभिनंदन को तुरंत छोड़ना बालाकोट मिशन की सफलता से सहमे पाकिस्तान की एक मजबूरी थी, क्योंकि वह उस समय अभिनंदन को लेकर भारत से तनाव लेने की स्थिति में नहीं था, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया में उलझे जाधव की सकुशल रिहाई इतनी आसान नहीं है। पाकिस्तान इस मामले को पुनर्विचार की ओट में लंबा खींच सकता है। ऐसे में भारत के पास अब केवल एक ही उपाय है कि वह अपनी कूटनीति से पाकिस्तान पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाकर जाधव मामले को शीर्ष वरीयता के आधार पर निपटाने के लिए बाध्य करे, क्योंकि अभी लोहा गरम है, अंतरराष्ट्रीय कोर्ट भी भारत की दलीलों से सहमत है। ऐसे में यदि पाकिस्तान पर थोड़ा सा भी अंतरराष्ट्रीय दबाव बन जाएगा तो फिर वह न्यायिक प्रक्रिया की ओट में जाधव मामले को लंबा खींचने की हिमाकत नहीं करेगा। इस दृष्टि से अब भारत को जाधव मामले में पाकिस्तान पर दबाव बनाने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। हमेशा टेढ़ी चाल चलने वाला पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है। वह केवल दबाव में ही सीधा चलता है।

pandeyvp1960@gmail.com

सभी के लिए आवास

केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 के अंत तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने की योजना घोषित की है। यह एक महत्वाकांक्षी योजना है, क्योंकि प्रत्येक आवास शौचालय युक्त तो होगा ही, साथ में बिजली, नल से जल एवं गैस के चूल्हे की भी व्यवस्था होगी। इसमें बहुत दूरदर्शिता से कार्य करना होगा। इसके लिए दो करोड़ आवास निर्माण की योजना है। इससे कंक्रीट के जंगल के क्षेत्र में वृद्धि होगी। अनेक स्थानों पर कृषि भूमि का अधिग्रहण करना पड़ेगा। कृषि भूमि में कमी की आपूर्ति करनी होगी। सभी नवनिर्मित आवासों की छतों का सार्थक उपयोग करना होगा। छतों पर खेती की संभावनाएं तलाशनी होंगी। सभी को बिजली उपलब्ध कराने के लिए बिजली उत्पादन में काफी वृद्धि करनी होगी। प्रत्येक नवीन भवन पर सोलर प्लांट प्रारंभ में ही लगा दिया जाए, जिससे विद्युत आपूर्ति में कोई समस्या न हो, यह सस्ती भी पड़ेगी। खंभों एवं लंबे-लंबे तारों की आवश्यकता नहीं होगी। इस समय राष्ट्र के सम्मुख प्रमुख दो समस्याएं हैं, पहली जनसंख्या वृद्धि एवं दूसरी जल संसाधनों की कमी। भवन निर्माण के समय ही यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि वर्षा के जल को ऐसे ही नाली में नहीं बहने देंगे। इस जल के संरक्षण एवं संचयन की समुचित व्यवस्था की जाए। इस जल को धरती में समाहित किया जाए जिससे कि जल स्तर में वृद्धि हो सके। यहां पर स्वीमिंग पूल के स्थान पर तालाबों का निर्माण किया जा सकता है। जब इतनी बड़ी मात्रा में सोलर प्लांट लगेंगे, जल संरक्षण की व्यवस्था होगी, छत पर खेती होगी, तब बहुत हाथों को काम भी मिलेगा और ढेर सारे उद्योग फले-फूलेंगे।

dharmendranath.rastogi@gmail.com

सिनेमा का प्रभाव

वर्तमान में भारतीय सिनेमा प्रेम के संदर्भ में चर्चित है। इसका युवाओं पर अत्यधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या भारतीय सिनेमा पारिवारिक संबंध को खत्म करने का प्रयास कर रहा है? ऐसे प्रश्नों के उत्तर हाल ही में रिलीज हुई सुपर 30 फिल्म ने भारतीय समाज को दिया है। इस फिल्म में हिंदी-भाषा के जीवन को आधार बनाया गया है। इसकी प्रमुख विशेषता है कि इसमें हिंदी की अहमियत को दर्शाया गया है। साथ ही दूसरी विशेषता है कि यह संपूर्ण रूप से प्रेरणादायक फिल्म है। वहीं इस फिल्म की मूल संवेदना मुख्य तौर से भारत की भद्दी राजनीति, शिक्षा जगत में धोखाधड़ी, राजवंश आदि जैसे पहलुओं को वास्तविक रूप देकर व्यक्त किया है। ऐसी प्रेरणादायक फिल्में ही बननी चाहिए।

कशिश वर्मा, नोएडा

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

जनसत्ता

भ्रष्टाचार के खिलाफ

बहुजन समाज पार्टी के उपाध्यक्ष आनंद कुमार के पास गैरकानूनी तरीके से बनाई गई अकूत संपत्ति का जो खुलासा हो रहा है, वह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि सत्ता की मदद से कैसे कोई व्यक्ति धनकुबेर बन सकता है। यह भारत के भ्रष्ट तंत्र की जीती-जागती मिसाल है। आनंद कुमार बसपा प्रमुख मायावती के भाई और पार्टी में दूसरे नंबर की हैसियत वाले नेता हैं। जाहिर है, उन्होंने मायावती के मुख्यमंत्री रहते हुए जम कर भ्रष्टाचार किया और खुद को सारे नियम-कायदों से ऊपर रखते हुए बेनामी संपत्ति का पहाड़ खड़ा कर डाला। आयकर विभाग ने फिलहाल जो बड़ी कार्रवाई की है उसमें नोएडा में चार सौ करोड़ रुपए की कीमत वाली जमीन को जब्त कर लिया है। इस जमीन पर मालिकाना हक आनंद कुमार और उनकी पत्नी का बताया गया है। यहां एक पांच सितारा होटल और आलीशान इमारतें बनाने की योजना थी। बसपा प्रमुख और उनका परिवार लंबे समय से आयकर विभाग के निशाने पर है। आयकर विभाग ने कुछ समय पहले ही आनंद कुमार के ठिकानों पर छापे मारे थे और साढ़े तेरह अरब रुपए से ज्यादा की संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए थे। इन संपत्तियों की जांच अभी चल रही है।

आनंद कुमार ने 1994 में नोएडा विकास प्राधिकरण में जूनियर असिस्टेंट पद पर नौकरी शुरू की थी और तब उन्हें सात सौ रुपए तनख्वाह मिलती थी। सन 2000 में नौकरी छोड़ कर वे कारोबार करने लगे और तभी से अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए संपत्ति बनाने का खेल शुरू कर दिया था। यह काम कोई ऐसा नहीं था जिसे वे अकेले कर जाते। जाहिर है, बिना अफसरों के सहयोग के यह संभव नहीं होता। अफसर किसके इशारे पर काम करते रहे, यह भी किसी से छिपा नहीं है। आयकर विभाग की जांच में पता चला है कि आनंद कुमार की एक दर्जन कंपनियां हैं जिनमें छह कंपनियां तो सिर्फ कागजों में हैं। इन कंपनियों के जरिए ही पैसे का खेल चलता रहा। मामला सिर्फ आनंद कुमार का नहीं है, उन जैसे सैकड़ों लोग होंगे जिन्होंने भ्रष्टाचार से अरबों-खरबों की बेनामी संपत्ति जमा की है, लेकिन कानून की पहुंच से बाहर हैं। कभी यह सुनने में नहीं आता कि किसी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई हुई हो। आयकर विभाग और दूसरी जांच एजेंसियां भी जिस तरह से काम करती हैं, जांच के नाम पर मामले को लटकाए रखती हैं और फिर उपयुक्त समय देख कर कदम उठाती हैं, वह कम हैरान करने वाली बात नहीं है। आनंद कुमार के खिलाफ यही कार्रवाई सालों पहले भी की जा सकती थी, लेकिन क्यों नहीं हुई, यह गंभीर सवाल है।

बसपा हमेशा से गरीबों और दलितों की आवाज उठाने का दावा करती रही है। लेकिन जिस तरह गरीबों और दलितों के नाम पर पार्टी के चंद नेता करोड़ों-अरबों कमा रहे हों तो यह हैरान करने वाली बात है! इन नेताओं ने जिस तरह बेहिसाब दौलत बनाई है, वह दलित, गरीब और वंचित तबके के प्रति उनकी और पार्टी की प्रतिबद्धता पर बड़ा प्रश्नचिह्न है। हकीकत तो यह है कि बसपा ही नहीं, तमाम छोटे-बड़े राजनीतिक दल भ्रष्टाचार की इस संस्कृति में रंगे हुए हैं, भले भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के कितने ही वादे और दावे क्यों न करें! बस कोई पकड़ में आ रहा है और कोई बच जा रहा है या बचा लिया जा रहा है। बेनामी संपत्ति बनाने वालों के खिलाफ, चाहे वे राजनीतिक दलों के नेता हों या सरकार में काम करने वाले अफसर-कर्मचारी, अगर ईमानदारी से अभियान चलाया जाए तो निश्चित ही भ्रष्ट नेताओं-अफसरों की जमात से देश की जनता को मुक्ति मिल सकती है।

लाचारी का शोषण

कुछ समय पहले महाराष्ट्र के बीड़ जिले से जब बड़ी संख्या में महिलाओं के गर्भाशय निकलवाने की खबर आई तो इसे गरीबी और मजबूरी की मार झेलती महिलाओं के खिलाफ एक अमानवीय बर्ताव के तौर पर देखा गया, लेकिन मसले की गंभीरता के अनुपात में इस पर चर्चा कम हुई। खबर के मुताबिक बीड़ जिले में बीस से तीस साल की चार हजार छह सौ पांच महिलाओं ने इसलिए अपने गर्भाशय निकलवा लिए कि उन्हें काम मिलने में बाधा नहीं आए। इसकी वजह यह है कि वहां गन्ने की कटाई के समय ठेकेदार ऐसी मजदूर महिलाओं को काम पर रखना बेहतर समझते हैं, जिनके गर्भाशय निकाले जा चुके हों, क्योंकि ऐसे में माहवारी उनके काम में बाधा नहीं बनती। यही नहीं, अगर माहवारी की वजह से महिला काम पर नहीं आती है तो ठेकेदारों के मुताबिक यह 'काम में अड़चन' है और इसके बदले में उन्हें बतौर जुर्माना ठेकेदार को पांच सौ रुपए देने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में फंसी महिलाओं के सामने गर्भाशय निकलवाने की मजबूरी आम है। अब राज्यसभा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सदस्य वंदना चव्हाण ने यह मुद्दा उठाते हुए इस घटना की पूरी जांच कराने की मांग की।

यह अपने आप में एक गंभीर स्थिति है कि किसी तरह गुजारा करने वाली महिलाओं के सामने वहां गन्ने के खेतों में मजदूरी करने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं था, दूसरे वहां के ठेकेदारों को ऐसे नियम-कायदे बनाने से रोकने-टोकने वाला कोई नहीं, जो महिलाओं के सामने ऐसे लाचार हालात पैदा करते थे। देश और राज्य में बने श्रम कानूनों के बरक्स कुछ ठेकेदारों को अपनी मनमानी चलाने की छूट कैसे मिली हुई थी? इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि आजादी के सत्तर सालों बाद अब देश में मजदूरों के हक में बने कानून बेहद कमजोर नजर आ रहे हैं। बात शायद अब इससे आगे जा रही है जिसमें किसी ठेकेदार ने मजदूर महिलाओं की मजबूरी का फायदा उठाते हुए निजी स्तर पर ऐसे नियम बना रखे थे कि अगर कोई महिला माहवारी की वजह से किसी दिन अनुपस्थित रहे तो उसके लिए उसे जुर्माना भरना पड़े। इतना तय है कि इतनी बड़ी तादाद में महिलाओं के गर्भाशय निकलवाने की घटना कोई अचानक नहीं हुई होगी। सवाल है कि जब किसी नियम पर अमल के सिलसिले में पड़ताल करनी होती है तो प्रशासन की नजर से कोई छोटी घटना भी नहीं छिप पाती, तो महिला मजदूरों के शोषण की पृष्ठभूमि में इतनी बड़ी अमानवीय गतिविधि कैसे और किसकी शह से चलती रही?

रोजी-रोटी की खातिर और जिंदा रहने के लिए जिन महिलाओं को ठेकेदार की मनमानी का शिकार होना पड़ा, उन्हें असंगठित क्षेत्र में दर्ज किया जाएगा। हालत यह है कि संगठित क्षेत्र की महिलाओं को भी रोजगार के क्षेत्र में अक्सर कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जबकि दुनिया भर में श्रमशक्ति के मामले में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। अलग-अलग देशों में महिलाओं के अनुकूल नियम-कायदे बनाए जा रहे हैं। कई जगहों से माहवारी को ध्यान में रख कर उनके लिए सवैतनिक छुट्टी की भी व्यवस्था की खबरें आती हैं। लेकिन हमारे देश में कई बार महिलाओं को अनेक तरह के प्रतिकूल हालात का सामना करना पड़ता है। हालांकि बिहार में नब्बे के दशक में राजद सरकार के दौरान महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए दो दिनों के 'विशेष अवकाश' की व्यवस्था लागू की गई थी। जरूरत इस बात की है कि महिलाओं की विशेष शारीरिक स्थिति को देखते हुए इस तरह की मानवीय दृष्टि से लैस कानून सभी क्षेत्रों की महिला कामगारों के लिए लागू किए जाएं और इसमें बाधा पैदा करने वाले रोजगारदाताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।

कल्पमेधा

हमारा जीवन आनंददायक है, लेकिन जब हम दूसरों के लिए जीना शुरू करते हैं तब यह और भी ज्यादा आनंददायक हो जाता है।
-हेलन केलर

बिफरती नदियां और खतरे

पंकज चतुर्वेदी

बगैर सोचे-समझे नदी-नालों पर बांध बनाने के कुप्रभावों के कई उदाहरण पूरे देश में देखने को मिल रहे हैं। वैसे शहरीकरण, वन विनाश और खनन तीन ऐसे प्रमुख कारण हैं जो बाढ़ की विभीषिका में उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं। जब प्राकृतिक हरियाली उजाड़ कर कंक्रीट का जंगल सजाया जाता है तो जमीन की जल सोखने की क्षमता तो कम होती ही है, सतही जल की बहाव क्षमता भी कई गुना बढ़ जाती है। फिर शहरीकरण के कूड़े ने समस्या को बढ़ाया है।

देश में हर साल की तरह ही इस बार फिर आधे से ज्यादा हिस्से में बाढ़ आई हुई है। असम जैसे राज्य में बाढ़ से कई लोग मारे जा चुके हैं और पच्चीस जिले पूरी तरह जलमग्न हैं। असम, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश तो बारिश के मौसम में हर साल ही हलकान रहते हैं लेकिन इस बार तो जम्मू-कश्मीर, गुजरात का सौराष्ट्र और राजस्थान के शेखावटी इलाके में भी बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। भयंकर सूखे से हैरान मध्यप्रदेश के करीब बारह जिलों की छोटी नदियां आषाढ़ की पहली फुहारों में ही उफन गईं। पिछले कुछ सालों के आंकड़ें देखें तो पाएंगे कि बारिश की मात्रा भले ही कम हुई है, लेकिन बाढ़ से तबाह हुए इलाके में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। कुछ दशक पहले जिन इलाकों को बाढ़ से मुक्त क्षेत्र माना जाता था, अब वहां की नदियां भी उफन रही हैं और मौसम बीतते ही उन इलाकों में फिर से जल संकट छा जाता है। गंभीरता से देखें तो यह छोटी नदियों के लुप्त होने, बड़ी नदियों पर बांध और मध्यम नदियों के उथले होने का दुष्परिणाम है। बाढ़ अकेले कुछ दिनों की तबाही ही नहीं लाती है बल्कि वह उस इलाके के विकास को भी सालों पीछे ले जाती है।

सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 1951 में बाढ़ ग्रस्त भूमि की माप एक करोड़ हेक्टेयर थी। सन 1960 में यह बढ़ कर ढाई करोड़ हेक्टेयर हो गई। इसके बाद 1978 में बाढ़ से तबाह जमीन 3.4 करोड़ हेक्टेयर थी और 1980 में यह आंकड़ा चार करोड़ पर पहुंच गया। अभी यह तबाही कोई सात करोड़ हेक्टेयर होने की आशंका है। पिछले साल आई बाढ़ से साढ़े नौ सौ से अधिक लोगों के मरने, तीन लाख मकान ढहने और चार लाख हेक्टेयर में खड़ी फसल तबाह हो जाने की जानकारी सरकारी सूत्र देते हैं। यह जान कर आश्चर्य होगा कि सूखे की मार झेलने वाला मरु प्रदेश राजस्थान भी नदियों के गुस्से से अछूता नहीं रह पाता है।

देश में बाढ़ की पहली दस्तक असम में होती है। असम का जीवन कही जाने वाली ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां मई-जून के मध्य में ही विनाश फैलाने लगती हैं। हर साल लाखों बाढ़ पीड़ित इधर-उधर भागते हैं। बाढ़ से उजड़े लोगों को पुनर्वास के नाम पर फिर से वहीं बसा दिया जाता है जहां छह महीने बाद जल प्लावन होना तय ही होता है। यहां के पहाड़ों की बेतरतीब खुदाई कर हुआ अनियोजित शहरीकरण और सड़कों का निर्माण भी इस राज्य में बाढ़ से होने वाली तबाही के लिए काफी हद तक दोषी है। सनद रहे, वृक्षहीन धरती पर बारिश का पानी सीधा गिरता है और भूमि पर मिट्टी की ऊपरी परत को गहराई तक छेद देता है। यह मिट्टी बह कर नदी-नालों को उथला बना देती है और थोड़ी ही बारिश में ये उफन जाते हैं। हाल ही में दिल्ली में एनजीटी ने मेट्रो कारपोरेशन को चेताया है कि वह यमुना के किनारे जमा किए गए हजारों ट्रक मलबे को हटवाए। यह पूरे देश में हो रहा है कि विकास कार्यों के दौरान निकली मिट्टी व मलबे को स्थानीय नदी-नालों में चुपके से डाल दिया जा रहा है और थोड़ी-सी बारिश में ही इन जल निधियों का प्रवाह कम हो जाता है व पानी बस्ती, खेत, जंगलों में घुसने लगता है।

देश के कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का सोलह फीसद बिहार में है। यहां कोशी, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, महानंदा, गंगा आदि नदियां तबाही लाती हैं। इन नदियों पर तटबंध बनाने का काम केंद्र सरकार से पर्याप्त सहायता नहीं मिलने के कारण अधूरा पड़ा है। यहां बाढ़ का मुख्य कारण नेपाल में हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। कोशी नदी के ऊपरी भाग पर कोई सत्तर किलोमीटर लंबाई का तटबंध नेपाल में है। लेकिन इसके रखरखाव और सुरक्षा पर सालाना खर्च होने वाले करीब बीस करोड़ रुपए का बोझ बिहार सरकार को झेलना पड़ता है। हालांकि तटबंध भी बाढ़ से निबटने में सफल रहे नहीं हैं।

कोशी के तटबंधों के कारण उसके तट पर बसे चार सौ गांव डूब में आ गए हैं। कोशी की सहयोगी कमला-बलान नदी के तटबंध का तल गाद के भराव से ऊंचा हो जाने के कारण बाढ़ की तबाही अब पहले से भी अधिक होती है। फरक्का बांध की दोषपूर्ण

संरचना के कारण भागलपुर, नौगछिया, कटिहार, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा आदि में बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। गौरतलब है, आजादी से पहले ब्रिटिश सरकार ने बाढ़ नियंत्रण में बड़े बांध या तटबंधों को तकनीकी दृष्टि से उचित नहीं माना था। तत्कालीन गवर्नर हेल्ट की अध्यक्षता में पटना में हुए एक सम्मेलन में डॉ राजेंद्र प्रसाद सहित कई विद्वानों ने बाढ़ के विकल्प के रूप में तटबंधों की उपयोगिता को नकारा था। इसके बावजूद आजादी के बाद हर छोटी-बड़ी नदी को बांधने का काम अनवरत जारी है।

बगैर सोचे-समझे नदी-नालों पर बांध बनाने के कुप्रभावों के कई उदाहरण पूरे देश में देखने को मिल रहे हैं। वैसे शहरीकरण, वन विनाश और खनन तीन ऐसे प्रमुख कारण हैं जो बाढ़ विभीषिका में उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं। जब प्राकृतिक हरियाली उजाड़ कर कंक्रीट का जंगल सजाया जाता है तो जमीन की जल सोखने की क्षमता तो कम होती ही है, साथ ही सतही जल की बहाव क्षमता भी कई गुना बढ़ जाती है। फिर शहरीकरण के कूड़े ने समस्या को बढ़ाया है। यह कूड़ा नालों से होते हुए नदियों में पहुंचता है। फलस्वरूप नदी की जल ग्रहण क्षमता कम होती है और बाढ़ आती है।

कश्मीर, पंजाब और हरियाणा में बाढ़ का कारण जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हो रहा अनियंत्रित शहरीकरण ही है। इससे वहां भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं और इसका मलबा भी नदियों में ही जाता है। पहाड़ों पर खनन से दोहरा नुकसान है। इससे वहां की हरियाली उजड़ती है और फिर खदानों से निकली धूल और मलबा नदी-नालों में अवरोध पैदा करता है। हिमालय से निकलने वाली नदियों के मामले में तो मामला और गंभीर हो जाता है। हिमालय, पृथ्वी का सबसे कम उम्र का पहाड़ है। इसकी विकास प्रक्रिया सतत जारी है, तभी इसे 'जीवित पहाड़' भी कहा जाता है। इसकी नवोदित हालत के कारण यहां का बड़ा भाग कठोर-चट्टानें न होकर मिट्टी है। बारिश या बर्फ के पिघलने पर, जब पानी नीचे की ओर बहता है तो साथ में पर्वतीय मिट्टी भी बहा कर लाता है। पर्वतीय नदियों में आई बाढ़ के कारण यह मिट्टी नदी के तटों पर फैल जाती है। इन नदियों का पानी जिस तेजी से चढ़ता है, उसी तेजी से उतर जाता है। इस मिट्टी के कारण नदियों के तट बेहद उपजाऊ हुआ करते हैं। लेकिन अब इन नदियों को जगह-जगह बांधा जा रहा है। इससे मिट्टी बांधों में ही रुक जाती है और नदियों को उथला बनाती रहती है।

मौजूदा हालात में बाढ़ महज एक प्राकृतिक प्रकोप नहीं, बल्कि मानवजन्य साधनों से पैदा हुई त्रासदी है। हकीकत में नदियों के प्राकृतिक बहाव, तरीकों, विभिन्न नदियों के उंचाई-स्तर में अंतर जैसे विषयों का हमारे यहां कभी निष्पक्ष अध्ययन ही नहीं किया गया और इसी का फायदा उठा कर कतिपय ठेकेदार, सीमेंट के कारोबारी और जमीन-लोलुप लोग इस तरह की सलाह देते हैं। पानी को स्थानीय स्तर पर रोकना, नदियों को उथला होने से बचाना, बड़े बांध पर पाबंदी, नदियों के करीबी पहाड़ों पर खुदाई पर रोक और नदियों के प्राकृतिक मार्ग से छेड़छाड़ को रोकना कुछ ऐसे सामान्य प्रयोग हैं, जो बाढ़ जैसी विभीषिका से बचा सकते हैं।

कौशल के साथ कला

एकता कानूनगो बक्षी

कोई माने या न माने लेकिन बचपन में हम सभी लोग किसी न किसी रूप में कलाकार होते हैं। घर की दीवारों पर, कॉपी के पन्नों पर, घर-आंगन में लगी फर्शियों या मुहल्ले की डामर वाली काली सड़कों पर पेंसिल, चॉक या कोयले से हम सबने आड़ी-तिरछी लकीरें अवश्य उकेरी होंगी। कभी मुस्कुराते, कभी रोते चेहरे बनाए होंगे। कम से कम एक चित्र तो जरूर ही हर बच्चा अपने बचपन के दिनों में बनाता है, जिसमें दो पहाड़ों के बीच से सूरज निकल रहा होता है, नदी होती है, नदी में नाव और किनारे पर एक झोपड़ी, पास में एक खजूर का पेड़ और आकाश में कुछ पक्षी उड़ रहे होते हैं।

कभी-कभी बस यों ही स्कूल से पैदल घर लौटने के उत्साह में अपने कदमों को अपनी ही धुन पर आगे-पीछे गोल घुमाते हुए नृत्य की खूबसूरत मुद्रा बनाने लगते हैं। कभी स्कूल की कोई कविता या गीत गुनगुनाने लगते हैं। कभी मजे में कोई झूठी या काल्पनिक कहानी या कोई तुकबंदी गढ़ कर दोस्तों के बीच रोब झाड़ने लगते हैं।

क्या कुछ नहीं कर रहे होते हम बचपन में और हमारे आसपास के लोग हमारी छोटी-छोटी हरकतों पर मंत्रमुग्ध हो जाते और विश्वास दिला देते हैं कि हम अद्भुत हैं और कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं। हालांकि कुछ जागरूक माता-पिता बच्चों में छिपी प्रतिभा को पहचान कर उसे विकसित करने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर नन्हे कलाकारों का फन परिवार में अभावों और जरूरतों के बोझ तले दब कर बचपन में ही घुटने टेक देता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जहां अभाव की उपस्थिति ही मानो उनके जुनून को और रफ्तार दे देती है। इन्हें ही शायद 'धूल में खिला फूल' कहा जाता है।

दुनिया मेरे आगे

किसी भी व्यक्ति के भीतर मौजूद यही कलाकार एक तरह से उसकी एक ऐसी पूरक ऊर्जा है जो उसे हर तरह की परिस्थिति में संघर्षों से मुकाबला करने की शक्ति देने का काम करती है। काम को खूबसूरत तरीके से करने का हुनर और परिणाम को बेहतर बनाने में सहयोग करती है। जरूरी नहीं कि हर बच्चा बड़ा होकर एक महान और सफल कलाकार ही बने, पर यह बहुत जरूरी है कि हम उसे ऐसा वातावरण उपलब्ध कराएं कि वह कलम, चाक या कोयले से ही सही, मगर मनचाहे चित्र बनाता रहे। स्कूल से लौटते हुए खुशी के गीत गाता चले... पैर थिरकते रहें... हर दिन कुछ नया रचने की कोशिश करे।

जो निरर्थक-सी दिखने वाली चीजें हैं, असल में जीवन का सबसे बड़ा अर्थ उनके भीतर छिपा होता है। अपने रोजमर्रा के काम में भी अगर अपने भीतर के कलाकार को हम प्रवेश करने की अनुमति देते रहेंगे तो यकीनन वह काम बचपन की तरह ही अद्भुत तो होगा ही, साथ ही थकावट और ऊब से मुक्ति देकर काम को बहुत खूबसूरत बनाने का माध्यम भी बन जाएगा।

महान चित्रकार पाब्लो पिकासो ने कहा है कि 'सभी बच्चे कलाकार होते हैं। समस्या यह है कि बड़े होने के बाद भी कैसे कलाकार बने रहा जाए'! इस छोटे-से वाक्य में एक बड़ी चिंता और गहन चिंतन है। हमारे जीवन की प्राथमिकताओं में असल में कला बहुत निचले स्तर पर आती है, क्योंकि बड़े से बड़े कलाकार पर भी अपनी और अपने परिवार की मूलभूत जरूरतों की पूर्ति सर्वोपरि हो जाती है। कोई बिरला ही होता है जो अपनी कला से अर्जित धन से परिवार या अपना पेट भर पाता है। उस मुकाम तक पहुंचने का रास्ता काफी संघर्षों से भरा होता है। इसलिए यह जरूरी है कि या तो हमने आर्थिक रूप से संपन्न किसी समझदार परिवार में जन्म लिया हो या फिर हमारे पास जीवनयापन के लिए कोई और रोजगार भी उपलब्ध हो, ताकि हम अपने भीतर के कलाकार और कला को जिंदा रख सकें।

कलाकार व्यक्ति का मन बहुत संवेदनशील होता है। निराशा और असफलता में वह बहुत बेचैन और अपने आप को काफी असहज महसूस करने लगता है। जबकि वह एक रचनात्मक और महत्त्वपूर्ण काम से जुड़ कर दुनिया को परोक्ष रूप से खूबसूरत बनाने में संलग्न होता है। कितना अच्छा हो अगर रोजगार के इन गैर-पारंपरिक और अलग तरह के क्षेत्रों को भी बढ़ावा दिया जाए! प्रतिभावान लोगों को सही मंच और मेहनताना मिले। कौशल विकास के साथ-साथ सरकारें 'ललित और रचनात्मक कला विकास' पर भी योजनाएं बनाएं तो शायद बेरोजगारी के बड़े संकट को कुछ हद तक इस तरह भी कम करने में मदद मिल सके। ऐसे में आजीविका का चुनाव हर व्यक्ति अपने कौशल को देख कर करेगा। किसी एक व्यवसाय पर बढ़ते बोझ और भेड़ चाल पर भी लगाम लगाई जा सकेगी।

हालांकि ऐसी कई संस्थाएं हैं जो समय-समय पर कार्यशाला आदि के जरिए बच्चों और युवाओं की प्रतिभा को पहचान कर प्रोत्साहित करती रहती हैं लेकिन जब तक इस तरह कलाओं को केवल 'हॉबी' यानी शौक के रूप में देखा जाएगा तब तक इसका पूरा लाभ नहीं मिल सकता। कला और कलाकार को नागरिक जीवन की मुख्यधारा में ज्यादा घनिष्ठता से लाना शायद एक सही पहल होगी।

जड़ता के विरुद्ध

संपादकीय 'पितृसत्ता की जंजीरें' (18 जुलाई) पढ़ा। यह बहुत अफसोसनाक है कि आज भी हमारे समाज में इतनी संकीर्ण विचारधारा के लोग रहते हैं! इक्कीसवीं सदी के भारत में इससे ज्यादा दुखद क्या होगा कि अविवाहित लड़कियों को मोबाइल तक न छूने दिया जाए, फिर अंतरजातीय विवाह करना तो बहुत दूर की बात है। दरअसल, बीती चौदह जुलाई को गुजरात के बनासकांठा जिले के बारह गांवों के ठाकोर समुदाय के लोगों ने संकीर्ण मानसिकता के चलते अपने समुदाय के लिए कुछ बेहद दकियानूसी नियम बना दिए कि इस समुदाय के लोग अंतरजातीय विवाह नहीं कर सकेंगे, अविवाहित लड़कियों के लिए मोबाइल फोन का प्रयोग वर्जित रहेगा और यदि ऐसा पाया गया तो उसके जिम्मेदार माता-पिता होंगे जिसके लिए उन्हें डेढ़ से दो लाख रुपए जुर्माने के रूप में भुगतने पड़ेंगे।

हमारा संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता और समानता का मौलिक अधिकार प्रदान करता है जबकि इस तथाकथित समुदाय के ये विकृत नियम इन दोनों मूल अधिकारों का सरासर उल्लंघन करते हैं। सवाल है कि इन पंचों की पंचायतें ही नियम कानून बनाने लगीं तो देश में संविधान और संसद का महत्त्व ही क्या रह जाएगा! लड़कियों को मोबाइल फोन न देना दर्शाता है कि हमारे देश में लैंगिक पूर्वाग्रह की जड़ें कितनी गहरी हैं। साथ ही, अंतरजातीय विवाह को अपराध मानना बताता है कि लोगों के दिमाग में जाति की जड़ता किस कदर समाई हुई है।

हैरानी होती है कि ऐसे बेहूदा नियम बनाने वालों को संविधान की तनिक भी परवाह नहीं होती है! क्या इनकी पंचायत संविधान, संसद, न्यायालय से भी बड़ी हो सकती है? सवाल है कि लैंगिक पूर्वाग्रह और जाति की जड़ता जैसी संकीर्णताएं भारत से कभी समाप्त होंगी भी या नहीं? निस्संदेह जब तक ये जाति पंचायतें नियम बनाती रहेंगी तब तक तो नहीं। लोगों को समझना होगा कि तकनीक और सूचना क्रांति के इस जमाने में शिक्षा और सुरक्षा दोनों के लिहाज से मोबाइल फोन निहायत जरूरी हो गया है। लड़कियों और महिलाओं के लिए तो और अधिक। साथ ही, देश की प्रगति के लिए समानता पर आधारित सामाजिक अवधारणा को सफल बनाने के लिए लोगों को अपने दिमाग से जाति की जड़ता को दूर करना ही होगा।

● *अंकित रजक, दतिया, मध्यप्रदेश*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

बर्बादी की बाढ़

कुछ माह पहले बिहार ने भीषण गर्मी की वजह से चमकी बुखार का दंश झेला था कि अब बाढ़ ने उसकी परेशानियां बढ़ा दी हैं। बिहार में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से करीब 80 लोगों की मौत हो चुकी है। नुकसान का आकलन इस बात से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि इस बार 1987 में आई बाढ़ की तबाही से ज्यादा भयावह हालात हैं। असम और बिहार देश के दो ऐसे सीमावर्ती राज्य हैं जिन्हें साल दर साल बाढ़ के प्रकोप का सामना करना पड़ता है। पिछले वर्ष बिहार में आई बाढ़ ने काफी ज्यादा तबाही मचाई थी। इस मौसम में नेपाल से आने वाली नदियां उत्तर बिहार में तबाही का सबब बन जाती हैं। नेपाल से छोड़े गए पानी का असर यह हुआ कि बिहार के 15 से 10 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए जिसमें धान, मक्के और जूट की फसलें डूब गईं। नदियों पर बने पुल तथा सड़कें ध्वस्त हो गईं। बिहार का शोक कही जाने वाली कोसी नदी के साथ ही बागमती, गंडक और बूढ़ी गंडक ने भी भारी तबाही मचाई है।

कुछ ऐसा ही हाल असम का भी है। उसके तीस जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में पांच दुर्लभ गैंडों सहित अनेक वन्यजीवों की मौत हो गई है। वास्तव में यह हमारी नाकामी ही है कि बाढ़ की विभीषिका साल दर साल झेलते रहे लेकिन इसे रोकने का तंत्र अभी तक विकसित नहीं कर पाए। हम प्राकृतिक आपदाओं को रोक तो नहीं सकते मगर आपसी समन्वय और तौर-तरीकों से इससे होने वाले नुकसान से बचा या उसे कम को किया ही जा सकता है।

● *दुर्गेश शर्मा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश*

आतंक का हाफिज

मुंबई आतंकी हमले के मुख्य सरगना हाफिज सईद को पाकिस्तान में जेल भेजे जाने पर अमरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुशी जाहिर की और इसे अमेरिका के दबाव का असर बताया है। भारत में भी लोग इस गिरफ्तारी पर खुश हैं। लेकिन अमेरिका हो या भारत, किसी को भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है क्योंकि सईद को जेल भेजना पाकिस्तान का महज दिखावा है। पाकिस्तान सरकार के संरक्षण में हाफिज सईद बरसों से भड़काऊ भाषण और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता रहा है। वह पहले भी जेल जाकर छूट चुका है। पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह पाकिस्तान सरकार अपने आतंकियों की मदद करती है। इसलिए सईद की मौजूदा गिरफ्तारी को बस इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए कि इमरान खान अमेरिका जाने वाले हैं और वहां के आका को खुश करके अपने लिए कुछ बेहतर मांग मांगने की कोशिश में हैं। इसी मकसद से सईद की गिरफ्तारी का नाटक रचा गया है। इसमें कहीं कोई गंभीरता नहीं है। लिहाजा, किसी भी भारतीय को इस गिरफ्तारी से अधिक खुश नहीं होना चाहिए और केंद्र सरकार को पाकिस्तान पर आतंकवादियों का पालन-पोषण रोकने के लिए चौतरफा दबाव बनाए रखना चाहिए।

● *संस्कृति चौधरी, सहरसा, बिहार*

आत्ममंथन का समय

कांग्रेस के लिए वर्तमान समय आत्ममंथन का है। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के अध्यक्ष का चयन न हो पाना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। कई महत्त्वपूर्ण नेताओं के अपने पद से इस्तीफा देने का सिलसिला चल रहा है। जिस पार्टी ने चालीस साल तक भारत पर एकछत्र शासन किया हो वह आज चंद राज्यों तक सिमट कर रह गई है। इस दुर्दशा के कारणों को खोजना पार्टी के लिए आवश्यक है।

लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका जनहित के प्रहरी की होती है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए के घटक दलों में कांग्रेस का अहम स्थान है लिहाजा, उसे अपना खोया हुआ जनाधार वापस पाने के प्रयत्न करने के साथ-साथ विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए भी खुद को तैयार करना चाहिए।

● *ललित महालकरी, इंदौर, मध्यप्रदेश*

सद्गुरु जग्गी वासुदेव

(आध्यात्मिक गुरु व संस्थापक-इशा फाउंडेशन)

वास्तविकता के साथ जीने की कला सीखना ही है जीवन का सत्य

कई लोग अपनी आध्यात्मिक प्रक्रियाओं को लेकर बहुत सारी उलझनों से घिरे रहते हैं. वे सोचते हैं कि इन उलझनों से मैं कैसे निबटूं? तो कई बार आशा और निराशा को लेकर लगभग मतिभ्रम की स्थिति में होते हैं. असल में जीवन के प्रति आपका नजरिया कैसा होना चाहिए, आध्यात्मिक मार्ग पर होनेवाली ऐसी ही कुछ उलझनों से उबरने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं सद्गुरु जग्गी वासुदेव जी.

आध्यात्मिक मार्ग पर यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किसी विशेष जगह पहुंचने का प्रयत्न न करें, क्योंकि जैसे ही आप कुछ विशेष पाना चाहेंगे, आपका मन 'वह विशेष स्थान' बनाने लगेगा. आप अपना खुद का निजी स्वर्ग ही बना लेंगे. आध्यात्मिक प्रक्रिया का अर्थ यह नहीं है कि आप वहम, मतिभ्रम के एक स्तर से निकल कर दूसरे स्तर पर पहुंच जायें. यह इसलिए है कि आप अपने सारे वहम, सारे मतिभ्रम बिल्कुल ही छोड़ दें, पूर्ण रूप से त्याग दें और वास्तविकता को उसी रूप में स्वीकार करें, जैसी वे हैं, क्योंकि ये सारे प्रयत्न सत्य के बारे में हैं.

सत्य का अर्थ है, जो अस्तित्व में है, न कि वह जो आप अपने मन में बना लेते हैं. हम अपने मन में भगवान या शैतान देख सकते हैं- दोनों का ही महत्व नहीं है. आप जो कुछ देखते हैं, वह आपकी संस्कृति पर निर्भर करता है और उन चीजों पर भी जिनका अनुभव आपको हुआ है. जब आप लोगों को देखते हैं, तो उनमें भगवान को देखते हैं या शैतान को- ये इस पर निर्भर करता है कि आप आशावादी हैं या निराशावादी. इसका संबंध वास्तविकता से नहीं होता. वास्तविकता तो यह है कि अभी आप यहां हैं और आपको यह भी नहीं पता कि आप किस कारण से यहां हैं, कहां से आये हैं और कहां जायेंगे? यही जीवन की वास्तविकता है.

कुछ धर्मों ने हमेशा आशा बांटी है, लेकिन वास्तव में किसी मनुष्य के लिए अगर सबसे खराब कुछ हो सकता है, तो वह है आशा, क्योंकि आशा का अर्थ है कि आप भविष्य की कल्पनाओं में खो जायेंगे, 'अभी हालत खराब है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अच्छा आदमी हूं, लेकिन गरीब हूं तो क्या, जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा तब भगवान की गोद में बैठूंगा'. यही आशा है. आपको बस अपने आप को ऐसे बनाना है कि आप कोई कल्पना न करें, अच्छी या बुरी. आप कोई भगवान या शैतान न बनाएं, स्वर्ग और नर्क, अच्छा और खराब न बनाएं.

जैसे ही कोई आपको आशा की झलक देगा, आप कल्पनाएं करने लगेंगे. आशा, झूठ का पुलिंदा बनाने का तरीका है. अगर आप आनंदमय रूप से आशा रहित होंगे, तो बात बन जायेगी. आप ऐसी जगह पहुंच पाएं, जहां आप को किसी आशा की जरूरत न हो. फिर जो भी हो, आप ठीक रहेंगे, क्योंकि आपने अपने अंदर ही कुछ पा लिया है.

वास्तविकता के साथ जीना सीखना सबसे महत्वपूर्ण बात है. आप को कुछ और नहीं करना है. अगर आप अपने मन में चीज़ों को तोड़ना, मरोड़ना, बिगाड़ना बंद कर दें और हरेक चीज को वैसी ही देखें, जैसी वह है, तो मुक्ति आपसे बस एक कदम ही दूर है. आप को कुछ भी नहीं करना है, समय ही सब कर लेगा. समय आप को किसी और तरह से परिपक्व कर देगा.

अगर आप चीजों को वैसे ही देखते हैं जैसी वे हैं, तो आप देखेंगे कि जीवन केवल इस या उस रूप में नहीं होता. ये पूरे ब्रह्मांड में हर तरफ विस्फोटित हो रहा है. यह एक जीवित ब्रह्मांड है. इस बात को आप तभी देख सकेंगे जब आप हर किसी की पहचान इस तरह से करना बंद कर दें, 'यह जीवन है, यह जीवन नहीं है, इसमें प्राण हैं, इसमें प्राण नहीं हैं, यह पुरुष है, यह स्त्री है'. हर चीज को बस वैसी ही देखिए, जैसी वह है, तो 'यही सब कुछ है' जैसा कुछ भी नहीं होता. यह तल्लीन हो जाने की अंतहीन प्रक्रिया है. मान लें कि एक ऐसी स्थिति हो जब आप कहें, 'यही सब कुछ है', तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे?

जब आप ब्रह्मांडीय जीवन जीने लगते हैं, तो जीवन अलग हो जाता है. क्या ये सुंदर होता है? नहीं! क्या ये गंदा होता है? नहीं! तो फिर ये कैसा है? जीवन की तरह, जैसे इसे होना चाहिए, इस तरह या उस तरह नहीं. हर चीज वैसी ही है, जैसी उसे होना चाहिए. यह बस आप का मन है, जो हर चीज़ को तोड़-मरोड़ कर दिखाता है. जब आप तोड़ना-मरोड़ना बंद कर देते हैं और हर चीज को वैसी ही देखते हैं जैसी वह है, तो आप जीवन का विस्फोट देखेंगे. यदि आप यहां एक करोड़ वर्ष भी रहें, तो भी यह आपको इसे समझने में जबरदस्त रूप से व्यस्त रखेगा.

आप कोई कल्पना न करें...

आपको बस अपने आप को ऐसे बनाना है कि आप कोई कल्पनाएं न करें, अच्छी या बुरी. आप कोई भगवान या शैतान न बनाएं, स्वर्ग और नर्क, अच्छा और खराब न बनाएं. ऐसा कुछ भी न हो कि, 'मैं इस व्यक्ति को पसंद करता हूं, उसे नहीं करता'. आप हर चीज को उसी तरह से देखना सीख लें, जैसी वे हैं, बस यही सब कुछ है. किसी खास समय पर, कुछ विशेष गतिविधि के लिए, हमें चीजों को एक विशेष रूप में देखना पड़ सकता है. बाकी समय आप उन्हें बस वैसी ही देखिए, जैसी वे हैं.

॥ श्रावण विशेष ॥

व्रत से होता है आध्यात्मिक लाभ

श्रीपति त्रिपाठी

हिंदू धर्म में श्रावण मास को पवित्र और व्रत रखने वाला माह माना गया है. पूरे श्रावण माह में निराहारी या फलाहारी रहने की अनुमति दी गयी है. इस माह में शास्त्र अनुसार ही व्रतों का पालन करना चाहिए. मन से या मनमानों व्रतों से दूर रहना चाहिए. इस संपूर्ण माह में नियम से व्रत रख कर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है.

श्रावण माह के पवित्र दिन कौन-कौन से : इस माह में वैसे तो सभी पवित्र दिन होते हैं, लेकिन सोमवार, गणेश चतुर्थी, मंगला गौरी व्रत, मौना पंचमी, श्रावण माह का पहला शनिवार, कामिका एकादशी, ऋषि पंचमी, हिंडोला व्रत, हरियाली अमावस्या, विनायक चतुर्थी, नागपंचमी, पुत्रदा एकादशी, त्रयोदशी, वरा लक्ष्मी व्रत, गोवत्स और बाहुला व्रत, पिथोरी, पोला, नराली पूर्णिमा, श्रावणी पूर्णिमा, पवित्रारोपन, शिव चतुर्दशी और रक्षा बंधन आदि पवित्र दिन बताये गये हैं.

व्रत के दौरान किन चीजों की मनाही : पूर्ण श्रावण कर रहे हैं, तो इस दौरान फर्श पर सोना और सूर्योदय से पहले उठना बहुत शुभ माना जाता है. उठने के बाद अच्छे से स्नान करना और अधिकतर समय मौन रहना चाहिए. दिन में फलाहार लेना और रात को सिर्फ पानी पीना. इस व्रत में दूध, शकर, दही, तेल, बैंगन, पत्तेदार सब्जियां, नमकीन या मसालेदार भोजन, मिठाई, सुपारी, मांस-मदिरा का सेवन निषेध है. श्रावण में पत्तेदार सब्जियां यथा पालक, साग इत्यादि का त्याग कर दिया जाता है. इस दौरान दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए, बाल और नाखून भी नहीं काटना चाहिए.

अग्निपुराण में कहा गया है कि व्रत करने वालों को रोज स्नान करना चाहिए, सीमित मात्रा में भोजन करना चाहिए. होम एवं पूजा में अंतर माना गया है. विष्णु धर्मोत्तर पुराण में व्यवस्था है कि जो व्रत-उपवास करता है, उसे इष्टदेव के मंत्रों का मौन जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, उनकी कथाएं सुननी चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए. **क्रमशः**

॥ सुवचन ॥

जीवन जन्म और मृत्यु के बीच का छोटा-सा अंतराल है. इसलिए इस अंतराल में खुश रहिए और दूसरों को खुश करिए. जीवन के हर एक क्षण का आनंद लीजिए.

- ब्रह्माकुमारी शिवानी

फूल हमेशा एकांत में खिलता है और व्यक्ति के अंतःकरण का फूल भी एकांत में खिलता है. हर व्यक्ति को अपना एकांत संभालना चाहिए.

- मोरारी बापू

इंसान को सबसे वैभवशाली सुख और स्थायी शांति तब ही प्राप्त होती है, जब वह अपने भीतर बैठे स्वार्थ को पूरी तरह से समाप्त कर देता है.

- गुरु गोबिंद सिंह

॥ व्रत-त्योहार- ॥

मंगला गौरी व्रत से होती है सुख-सौभाग्य की प्राप्ति

सावन के हर मंगलवार को मां गौरी की विशेष पूजा का विधान बताया गया है. यह व्रत मंगलवार को होने के कारण ही मंगला गौरी व्रत के नाम से भी जाना जाता है. इस दिन गौरी के उपासक को उनकी विधि-विधान से पूजा करनी चाहिए. इस बार इस व्रत का आरंभ 23 जुलाई, 2019 को मंगलवार के दिन से किया जायेगा. मान्यता के अनुसार सावन माह के प्रत्येक मंगलवार के दिन इस व्रत को करने से विवाहित स्त्रियों को सुख-सौभाग्य की प्राप्ति होती है. अगर कुंडली में विवाह-दोष है, तो भी यह व्रत करना शुभदायी होगा.

मंगला गौरी व्रत कथा : एक गांव में बहुत धनी व्यापारी रहता था. कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उसका कोई पुत्र नहीं हुआ. कई मन्नतों के पश्चात बड़े भाग्य से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, परंतु उस बच्चे को श्राप था कि 16 वर्ष की आयु में सर्प काटने के कारण उसी मृत्यु हो जायेगी. संयोगवश व्यापारी के पुत्र का विवाह सोलह वर्ष से पूर्व मंगला गौरी का व्रत रखने वाली स्त्री की पुत्री से हुआ. व्रत के फल स्वरूप उसकी पुत्री के जीवन में कभी वैधव्य दुख नहीं आ सकता था. इस प्रकार व्यापारी के पुत्र से अकाल मृत्यु का साया हट गया तथा उसे दीर्घायु प्राप्त हुई.

व्रत की विधि : शास्त्रों के अनुसार श्रावण माह के प्रत्येक मंगलवार को प्रातः स्नान कर मंगला गौरी की तस्वीर या मूर्ति को सामने रखकर अपनी कामनाओं को मन में दोहराना चाहिए. आटे से बने दीपक में 16 बत्तियां जला कर देवी के सामने रखना चाहिए. साथ ही सोलह लड्डू,पान, फल, फूल, लौंग, इलायची और सुहाग की निशानियों को देवी के सामने रखकर उसकी पूजा करनी चाहिए. पूजा समाप्त होने पर सभी वस्तुएं ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए. अवश्य ध्यान रखें कि इस पूजा में उपयोग की जाने वाली सभी वस्तुएं 16 की संख्या में हों. व्रत करने के पांचवे वर्ष के श्रावण माह के अंतिम मंगलवार को इसका उद्यापन करना चाहिए.

॥ वास्तु टिप्स ॥

हकीक की माला के जप से प्रसन्न होते हैं भगवान शिव

ज्योतिष शास्त्र में हकीक पत्थर का बड़ा महत्व है. मान्यता है कि यह जीवन के बड़े-से-बड़े दुखों के पहाड़ को तोड़ने में सक्षम है. कहते हैं हकीक की माला का जप करने से भगवान शिव अति प्रसन्न हो जाते हैं. यह माला फेरने के साथ यदि हनुमान जी के किसी मंत्र का जप किया जाये, तो यह भी लाभकारी है. जो लोग हकीक के बारे में थोड़ी भी जानकारी रखते हैं, उन्हें काले हकीक का महत्व जरूर पता होगा. काले हकीक के मोतियों की माला पहनने से मानसिक शांति मिलती है. यह कार्य के प्रति एकाग्रता को भी बढ़ाता है. यदि कोई छात्र कड़ी मेहनत के बाद भी परीक्षाओं में सफल होने से चूक जाता हो, तो उसे काले हकीक की माला पहनानी चाहिए. यह प्रतियोगिताओं में विजय प्राप्त करने में सहयोगी मानी गयी है. इसके अलावा मासिक धर्म रुक जाने या फिर महिलाओं से संबंधित किसी भी अन्य गुप्त परेशानी का हल पाने में काला हकीक फायदेमंद है. गर्भवती महिलाओं के लिए यह रत्न अच्छा माना गया है.

॥ ज्योतिष ॥

हर काम में रुकावट, पितृदोष तो नहीं!

मार्कण्डेय शारदेय, ज्योतिषाचार्य

जीवन में उतार-चढ़ाव तो सामान्य बात है, परंतु पारिवारिक सुख-शांति छिन जाना, उन्नति अवरुद्ध होना, आपसी मन-मुटाव बढ़ जाना आदि बाधाओं के लिए ज्योतिष में अनेक स्थितियां बतायी गयी हैं. इनमें पितृदोष व ग्रहण योग भी हैं. किसी कारण वश पितरों की नाराजगी हमारे लिए आफत बन आती है. तब ये सारी चीजें घटित होती हैं. वहीं प्रतियोगिताओं में सुयोग्यताएं जब मार खा जाएं, काम बन-बन कर बिगड़ जाए, तो यह ग्रहण है!

ज्योतिष में राहु और केतु छाया ग्रह (तमः स्वरूपौ शिखि-सिंहिकासुतौ) हैं, इसलिए प्रेतत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं. राहु को दादा ग्रह तथा केतु को नाना ग्रह मानने का आशय भी पितृकुल एवं मातृकुल के पूर्वजों से ही है. शनिपुत्र गुलिक भी ऐसा ही कार्य करता है, इसलिए चाहे प्रेतबाधा हो, ग्रहण योग हो व पितृदोष; सबका मुखिया राहु है. नवम भाव में बैठा राहु खास कर मकर का हो और यदि सूर्य या चंद्र के साथ हो, पुनः छह अंश से कम दूरी हो, तो विशेष तबाही मचा सकता है. दृष्टि संयोग भी अंशतः अशुभ ही होता है. इसके अतिरिक्त कुंडली के अष्टम भाव में शनि के साथ निर्बल चंद्र (रन्ध्रे समन्देऽबले पिशाच-पीडा) अथवा शनियुत राहु का लग्न में होना (तमोऽर्कजो लग्ने पिशाचपीडा) प्रेतबाधा का परिचायक है. दूसरी ओर सप्तम भाव में मंगल या शनि के साथ राहु या केतु की युति हो, तो पति या पत्नी का प्रेत-ग्रसित होना संभव है.

राहु का सूर्य या चंद्र के साथ संयोग बना रह हो या षडष्टक योग हो और दशाकाल भी चल रहा हो, तो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक परेशानियां कूद-कूद कर आयेंगी. संक्षेप में यह कि कुंडली हो या न हो, तो भी उक्त लक्षणों को देख समझ जाना चाहिए कि किसी न किसी रूप में अवश्य पितृदोष व ग्रहण योग है. पुनः यथोचित उपचार करना चाहिए.

उक्त बाधाओं के निवारण का मुख्य उपचार त्रिपिंडी श्राद्ध है, जिसमें विष्णु, ब्रह्मा एवं रुद्र को प्रेत मान कर पूजा व पिंडदान का विधान है. चूंकि इन्हीं तीनों को क्रमशः जौ, चावल तथा तिल के आटे का पिंड दिया जाता है, इसलिए इसे त्रिपिंडी कहते हैं. कुछ लोग सोचते हैं कि पिता आदि के जीवित रहते संतानें श्राद्ध कैसे करें, तो यह जानें कि यहां किसी मानव-विशेष के श्राद्ध की बात न होकर सृष्टि के आदि नियामक त्रिदेवों के तीनों गुणों (सत्त्व, रज, तम) की ही आराधना है, जिससे कोई हानि नहीं.

करें ये सरल उपाय

सहज उपचारों में नित्य तर्पण, स्वधा-स्तोत्र, पितृस्तोत्र का पाठ एवं अमावस्या को अन्नदान है. एक और सरल विधि है कि किसी सोमवती अमावस्या को सुबह पीपल के वृक्ष की 'ऊं नमो भगवते वासुदेवाय' इस मंत्र से जल, रोली, तिल, फूल, धूप, दीप एवं प्रसाद चढ़ा कर पूजा कर लें. इसके बाद यही मंत्र जपते हुए 108 बार परिक्रमा कर लें. जो एकदम अशक्त हैं, वे 28, 8 या 4 बार ही फेरा लगाएं. इसके बाद एक सुपारी के साथ जनेऊ चढ़ा कर दोष की शांति की प्रार्थना करें. हो सके तो हर सोमवती अमावस्या को यह उपचार करें.

राशिफल

डॉ एनके बेरा

मेष दैनिक कार्य अव्यवस्थित रहेगा. नौकरी-व्यापार में अवरोध. विविध उलझनों से सामना होगा. परिश्रम-प्रयत्न से विघ्न-बाधाएं नष्ट होकर आर्थिक सफलता मिलेगी.

वृष किसी खास व्यक्ति के सहयोग से महत्वपूर्ण काम बनेंगे. धन लाभ होगा. कर्तव्यनिष्ठ जीवन का विकास. पत्नी पुत्र-पुत्री का उत्तम सहयोग एवं सुविधा प्राप्त होगी.

मिथुन परिस्थिति में सुधार होगा. बकाये रकम की प्राप्ति होगी. वस्त्र-आभूषण, धन-द्रव्य की प्राप्ति होगी. दीर्घकालीन योजनाओं पर अधिक धन व्यय करना होगा.

कर्क रोजी-रोजगार में अनुकूल वातावरण रहेगा. कर्मक्षेत्र में यशस्वी कार्य करने का अवसर मिलेगा. नौकरी में बदलाव होने का संयोग बन सकता है.

सिंह सामाजिक-राजनीतिक व्यक्तियों की लोकप्रियता बढ़ेगी व सत्ता-संगठन में महत्वपूर्ण स्थिति बनाने में आप कामयाब होंगे. लाभप्रद योजनाओं में रुचि बढ़ेगी.

कन्या नौकरी में उन्नति होगी. बेरोजगारों को रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे. महत्वपूर्ण कार्य पूरे होंगे. आर्थिक दृष्टि से समय अनुकूल रहेगा.

तुला परीक्षा-प्रतियोगिता, उच्च शिक्षा से संबद्ध युवाओं को अनुकूल परिणाम मिलेंगे. परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होगा. स्वजन-मित्रों का सहयोग.

वृश्चिक उत्साह और उमंग में वृद्धि होगी. भूमि-भवन, वाहनादि के क्रय-विक्रय से लाभ होगा. बकाये धन की वसूली होगी. पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा.

धनु बुद्धि-चतुरता-वाकपटुता से कठिन काम भी सहज ढंग से पूरे हो जायेंगे. विरोधियों, गुप्त शत्रुओं पर विजय मिलेगा. इच्छित कार्य सफल होगा.

मकर रोजगार-व्यापार के क्षेत्र में अच्छे समय का उपयोग करें. वांछित उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. रोग-ऋण-शत्रुबाधा का शमन होगा.

कुंभ किसी काम को उतावले मन से न करें. अनावश्यक उलझनों से कष्ट की संभावना. इष्ट मित्रों व स्वजनों से मार्मिक पीड़ा होगी.

मीन आयु-आरोग्य की रक्षा होगी. बकाये रकम की प्राप्ति. श्रेष्ठजनों के सहयोग से रोजी-रोजगार में उन्नति होगी. मकान-वाहनादि में सफलता मिलेगी.

सुडोकू नवताल

पहेली नंबर 4229

9		6		3		4		8
	2				9		7	
4			1	6				2
		8			2		3	
1		4				2		5
	3		5			8		
7				9	5			3
	8		6				4	
6		2		7		5		1

MANGAL SENACHA BANGALORE

सुडोकू नवताल - 4228 का हल

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3x3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

ऊपर से नीचे

3	6	5	1	8	4	2	9	7
7	9	2	3	5	4	1	8	6
4	1	8	6	7	9	5	3	2
6	5	9	2	4	8	3	7	1
8	4	7	9	3	1	6	2	5
1	2	3	5	6	7	4	1	8
2	7	6	4	9	5	8	6	3
5	8	1	7	2	3	9	6	4
9	3	4	8	1	6	2	5	7

शब्दपहेली

840

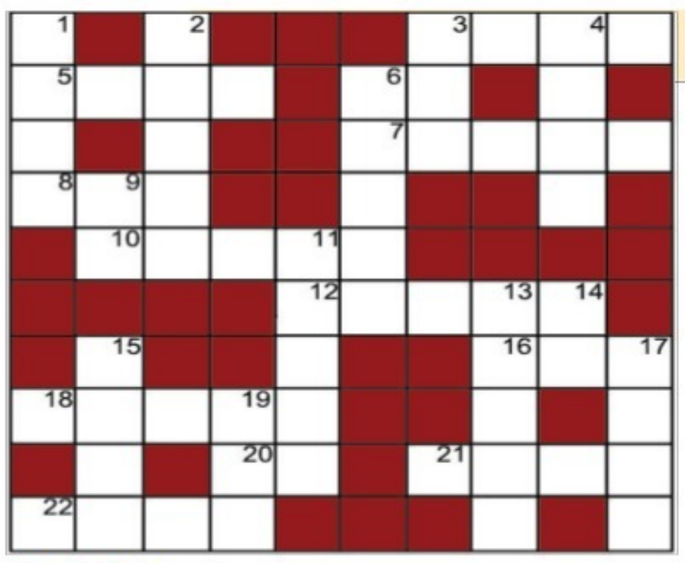

बायें से दायें

3. समान पद वाला, जोड़ या बराबरी का (4)
5. जिसमें हो ताज-सी आकृति (4)
6. कराहने का शब्द (2)
7. विवशतापूर्वक (5)
8. वीर एवं साहसी पुरुष, शेर (3)
10. जनता को कानून द्वारा प्राप्त अधिकार (5)
12. शरण देना (3,2)
16. दशा, स्थिति (3)
18. चांदी का पहाड़ (5)
20. पत्र, पर्ण (2)
21. फैलाया हुआ (4)
17. निरंतर, लगातार (4)
19. चंचल, अस्थिर (3)

ऊपर से नीचे

1. नीचे लाना, पार पहुंचाना (4)
2. चुकाना (2,3)
3. एक ही समय उत्पन्न, जन्मज
4. काटने पर बचे छोटे-बड़े टु
6. सर्वसुलभ बनाना (2,3)
9. काबे का दर्शन और प्रदक्षिणा
11. कपड़ा आदि (3,2)
13. मृत्यु (5)
14. अर्द्धचंद्राकार लोहे का टुकड़
15. हाथी (4)
22. .... आमिर कसाब मुंबई हम आरोपी था (4)

शब्दपहेली उत्तर